Haryana Vidhan Sabha

Debates

27th Februaty, 1970 (Evening siting)

Vol. I No.12

OFFICIAL REPORT

CONTENTS

Friday, the 27th Februaty, 1970 (Evening siting)

	Page
No Confidence Motion	(12) 1
Motion under Rules 15	(12) 3
Adjournment of the Assembly Sine-die	(12) 9
presentation of Report of Committees	(12) 19
walk out	(12) 19

Presentation of Report of Committees (Contd.)	(12) 19
Bill(s)-	
The Haryana Appropriation (No. 2)- 1970	(12) 20
Ruling by the Deputy Speaker	(12) 36
bill(s)-	
The Haryana Appropriation (No. 2)- 1970 (Contd.)	(12) 37
The Punjab State Legislature (Prevention of Disqualification) Haryana Amendment- 1970	(12) 49
The Punjab Legislative Assembly Speaker's and Deputy Speaker's Salaries (Haryana Amendment) – 1970	(12) 51
The Punjab Legislative Assembly (Allowances of Members) Haryana Amendment-1970	(12) 54
The Haryana Salaries and Allowances of Ministers-1970	(12) 57
The Haryana Land Revenue (Additional Sur charges) Amendment- 1970	(12) 59
The Punjab Town improvement (Haryana Amendment and Validation)-1970	(12) 60
The Motor Vehicles (Haryana Amendment)-1970	(12) 62
The Punjab Passengers and Goods Taxation (Haryana Amendment) 1970	(12) 63

The Punjab Co-Operative Societies (Haryana Amendment) 1970	(12) 64
The Haryana Board of School Education (Amendment)-1970	(12) 65
The Punjab Motor Vehicles Taxation (Haryana Amendment)-1970	(12) 66
The Punjab Professions, Trades, Callings and Employment Taxation (Haryana Amendment) – 1970	(12) 68
The Punjab Instrument (Control of Noises) Haryana Amendment – 1970	(12) 69
The Punjab General Sales Tax (Haryana Amendment) – 1970	(12) 70
Resolution (Official)	
Regarding fixation of Higher maximum limit of loan by Haryana State Electricity Board under Sub-Section (3) of Section 65 of the Electricity (Supply) Act, 1948 (Central Act 54 of 1948)	(12) 71

HARYANA VIDHAN SABHA

Friday, the 27th February, 1970(Evening sitting)

The Vidhan Sabha meet in the Hall of the Haryana Vidhan Sabha, Vidhan Bhavan, Chandigarh-I at 2.30 P.M. of the Clock.

Mr. Speaker (Brig Ran Singh) in the Chair.

NO-CONFIDENCE MOTION

Mr. Speaker: I have received a notice of No-Confidence Motion given by Rao Birender Singh and Mahant Ganga Sager, M.L.As. The notice of the Motion reads as under:-

"That this House express its want of confidence in the Ministry as a whole headed by Shiri Bansi Lal."

I request those in favour of leave being granted, to rise in their seats.

(Some honorable members rose in their seats).

Finance Minister (Smt. Om Prabha Jain): Mr. Speaker, according to the rule No-Confidence Motion can come only after the Question Hour. And Today there has been no Question Hour and, therefore, you would remember that even on 13th they had given notice but you did not allow it to be moved in this House and taken notice of it.

Rao Birender Singh: No-Confidence Motion can be given before the sitting of the House any time. The rule is very clear and it has precedence over any other business. That is a general rule provided that it will be taken up after the Question Hour. Since there is no Question Hour today it will take precedence over other business. that is what the rule means. If there is no Question Hours, it has precedence over everything.

मुख्य मंत्री(श्री बंसी लाल): अध्यक्ष महोदय, मेरी अर्ज यह है कि 13 तारीख को जब हम यहां असेम्बल हुए, उस दिन से पहले की हमको मोशन आफ नो–कनफीडैंस का सरकुलर जारी हो चुका था। 13 तारीख को उस पर विचार विमर्श नही किया, क्योकि क्वैश्चन आवर नही था परन्तु उस दिन आनरेबल मेम्बर ने उसको न तो विदड्रा कर लिया। इसलिए ऐसी मोशन को क्वैश्चन आवर के बाद ही लाया जा सकता है। स्पीकर साहब, मेरी सबमीशन यही है कि उसे आज नही लिया जा सकता, क्योकि इसी हाउस मे 13 तारिख का हुआ यह फैसला है।(व्यवधान)

Rao Birender Singh: On a point of order, Sir. I want to submit something. The Rule provides, Sir, that if the honorable Speaker thinks that the motion is in order he shall read it to the House and put it before the House. Sir, When you have read it to the House, you have deemed it in order. Now there should be no further question about its admissibility or non-admissibility.

Mr. Speaker: There is one point, Rao sahib.

(Malik Mukhtiyar Singh rose to speak.)

Mr. Speaker: Let me give my ruling on this.

I feel that this rule, as was read, pertains to normal functioning of a house, that is, when we have only one sitting. But today we are having two sittings and, therefore, I feel that that rule applies generally to the House when it meets normally, having one sitting in a day. Secondly, I had also visualized this difficulty last year and written to various Assemblies as well as to the parliament as also to the Insatiate of Constitutional and Parliamentary Studies and they have given their expect opinion that if proper notice for both Adjournment Motion and No-Confidence Motion are received in time and the Speaker thinks them both in order, the motion for no-confidence should have precedence over the Adjournment Motion. So, i agree there is no Question Hour today. But, as I said, why is it not today? Because you are having a second sitting. Otherwise when there is one sitting invariably the other business of the House is preceded by a Question Hour. Then once a thing has been found in order then the No-Confidence Motion receives priority over any other business including the Adjournment Motion.

So, as I said, I will request those in favour of leave being granted to rise in their seats

(Honourable Member from the Opposition Benches rose in their seats.)

Mr. Speaker: Kindly sit down.

The Motion will be taken up for discussion on the 3rd March, 1970. (Thumping by Opposition Benches)

Rao Birender Singh: This is democracy. Now it will come into play.

MOTION UNDER RULE 15

Chief Minister (Shri. Bansi Lal): Sir, I beg to move—

That the proceeding on the items of business fixed for today be exempted at this day's sitting from the provisions for the Rule 'Sittings of the Assemble, indefinitely.

Mr. Speaker: Motion moved—

That the proceeding on the items of business fixed for today be exempted at this day's sitting from the provisions for the Rule 'Sittings of the Assemble, indefinitely.

श्री मंगल सैन: स्पीकर साहब, मेरी सबमिशन यह है कि यह जो रूल 15 के तहत चाहते है कि लगातार सैशन चलेए मै समझता हूं उसकी आज जरूरत नही हैं। ऐसी जल्दी क्या है, जब 3 तारीख को हाउस बुलाया ही गया है मेरे विचार के अनुसार ऐसी जल्दी नही करनी चाहिए। जो ऐजेन्डा दिया हुआ है उसी के अनुसार ऐप्रोप्रिएशन बिल पर ही बहस होनी चाहिए और आज उस पर वोटिंग हो जाए। जब सोमवार को हाउस बैठना ही हैं, फिर आज लगातार बैठने की क्या आवश्यता है?

मलिक मुख्तियार सिहः Sir, you ere pleased to from the Business Advisory Committee. स्पीकर साहब, मेरी अर्ज यह है कि हमे एक टेटेटिव व प्रोग्राम मिल चुका था जिसके मुताबिक 4 मार्च तक सैशन चलना था। यह प्रोग्राम बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के अन्दर डिसाइड हो चुका था और उसके साथ ही लीडर आफ दी हाउस भी एग्रि कर चुके थे। लेकिन आज हाट हेस्ट मे इस बिजनेस को बहुत जल्दी के अन्दर खत्म करना चाहते है। हमारी समझ मे नही आता कि ऐसी आज क्या खास बात है जिसके बारण इनका कोई डर पैदा हो गया है और आज ही बिजनैस खत्म करना चाहते है। आज पहले भी एक सिंटिंग हो चुकी है और दूसरी सीटिंग भी नान स्टाप चलाना चाहते है। समझ मे नही आता कि यह नान स्टाप सिंटिंग एक दिन चलेगी या दो दिन चेलगी या तीन दिन चलेगी या इससे भी ज्यादा दिन चलेगी। इस नान स्टाप का मतलब क्या है? जिस तरह से यह चलाना चाहते है इस तरह तो मैम्बर बैठ नही सकते, औरप एक नये किस्म की नई चीजें, नई बाते नई रिवायत इस हाउस के अन्दर कायम करना चाहते हैं, वरना तो ये हमारे साथ धक्केशाही ही करते रहेगें।

राव बीरेन्द्र सिंहः मै अर्ज करूंगा कि आज हम नो–कनफीडैन्स मोशन बजट पर डिसकशन होते हुए भी डिमाण्उज और एप्रोप्रिएशन बिल के बाद लाना चाहते थे उसकी बजुहात यह थी कि इस सूबे मे अब डेमोक्रेसी की कोई इज्जत नही है और न ही कोई कदर है। सरकार आज ही सारा काम खत्म करके भागना

चाहती है और इसकी वहज यह है कि इसको अपने पर भरोसा नही है, पब्लिक के अन्दर ये अपना कनफिडैन्स खो बैठे है, पार्टी के अन्दर से इनका कनफिडैन्स खत्क हो गया है जैसा कि इनक चेहरो से मालूम भी पड़ रहा हे। तो उन सारी चीजों को देखते हुए हम नो–कनफीडैन्स मोशन लाए हैं, वरना हमे इसके लान की जरूरत ही नही पडती। इन्होने मैम्बर्ज का रातों रात उठाकर अन्दर ड्यूरेस रखा हुआ है।(व्यवधान)□

Mr. Speaker: No interference please. The Leader of the Opposition is speaking.

राव बीरेन्द्र सिंहः स्पीकर साहब, बहुत दुख से कहना पड़ता है कि इस सैशन के अन्दर आनरेबल मैम्बर्ज को फ्रीली काम करने का मौका ही नही दिया गया। दिन रात उन के ऊपर पहरा लगा हुआ हैं, अफसरान का, पुलिस का, सी.आई.डी का। इनितहाई दबाव है उन पर। मैम्बरों को होस्टल मे भी नही टिकने दिया गया। किसी को घर परन नही ठहरने दिया गया। आज जब कि डिमाण्ड और ऐप्रोप्रिएशन बिल हाउस के सामने आ रहे थें तो मेम्बर्ज को रातो ही रात जबरदस्ती उठा कर गायब कर दिया। अब मेम्बरान को इस बात की बगैर इजाजत दिए ही कि वह अपनी पार्टी के मुताल्लिक भी कुछ सोचें या हरियाणा मे जो कुछ हो रहा है, उसके मुताल्लिक सोंचे अपने ब्यूज को आपस मे एक्सचेंज कर ले, उन को घेरघार कर बैठा कर आज ऐप्रोप्रिएशन बिल और सारा लेजिस्लेशन नान स्टाप सिंटिग करके निकाल कर चले जाना

चाहते है। तो आज की बातो से जनता के सामने और हाउस के सामने यह साबित हो गया है कि इनकी कितनी ताकत और जिस तरीके से ये राज करना चाहते है, वह भी साबित हो गया है और बाकी साबित तीन तारीख को हो जाएगा, हमे मौका मिल गया, तो। स्पीकर साहब, मै आप से दखर्वास्त करूंगा कि जब चार पांच तारीख तक इन्होने खुद प्रोग्राम सेशन का दिया हुआ है और ये अचानक आज सैशन को टरमीनेअ कर रहे है इस लिये इनको इस बात की इजाजत नही मिलनी चाहिए। क्या कारण है कि आज ही बस्ता उठाकर ये घर को चल दे और फिर छः महीने तक जनता पर गोली चलाते रहे। स्पीकर साहब, इन हालात के अन्दर आप इन को समझाईये कि इनको इतनी क्या जल्दी है, ये दो तारीख कर लें, तीन को कर लें, चार को कर लें, पांच कर लें, इन तारीखों तक तो इन्होने खुद पहले ही माना हुआ है। मै अर्ज करूंगा, स्पीकर साहब, इससे ज्यादा और कोई बुरा रिवाज नही हो सकता। आप के चेयर पर बैठे हुह इस औगस्ट हाउस की इस तरीकके की कार्यवाही ये करे तो हिन्दोसतान और दुनिय हमारे मुतालिल्क क्या कहेगी। इसी प्रकार ये पिछली बार भी रातों रात आधे घन्टे मे सारा बजट निकाल कर ले गयें। इसी प्रकार ये पिछली बार आधे घन्टे मे छः महीने के लिए जनता के ऊपर मार–धाड़ करने की इजाजत ले कर जाना चाहते हैं। तो मै आप से यही अर्ज करूंगा कि ये इस तरीके से डमोक्रेसी का सत्यानाश न करें और बड़े ग्रेस के साथ आज आराम से ऐप्रोप्रिएशन बिल डिसकस करें। उसके बाद जो आर्डिनेसिंज लागू कर रखें हे,

जोकि बेशुमार हैं, जब सैशन होने वाला था परन्तु आप बुलाना नही चाह रहे थें, मजबूर होकर आखिरी दिन बुलाना पड़ां, तो स्पीकर साहब, उस लैजिस्लेशन पर भी मेम्बरो को माइंड अप्लाई करने दें और उनको बोलने का मौका दो। मेम्बरज यहां सुबह से बैठे हुए है। पिछली बार की तरह से इस बार भी आज आप बीस बिल निकाल कर ले जाना चाहते है। जितने आर्डिनेसिंज है, उनको एकदम कानून की शक्ल देना चाहते है। आज ऐप्रोप्रिएशन बिल भी पास करवाना चाहते है। आप अपनी डिमांडज सुबह पास करा चुके है। स्पीकर साहब, मै हल्फन कहता हूं कि इन्होने मेम्बर्ज को रातभर सोने नही दिया।

श्री बंसी लालः पांव पकडते हुए तो ये फिर रहे थें और कहते हमे कि सोने नही दिया।(व्यवधान)

राव बीरेन्द्र सिंहः स्पीकर साहब, इनको खुद जहुहाइयां आ रही हैं। पपडी़ तो अभी तक होठो की सुखी नही है। बनारसी दास जी, आप जनता के साथ धक्का कर रहे हों। जरा सा जलजला आया है, उसके अन्दर ही बौखला गए। कल तो दावे करते थे कि हम पूरे समय तक सैशनव चलाएगें। अभी तो भूचाल का पहला झटका आया है।(व्यवधान) यह साबित हो गया है कि अब न जनता और न हाउस ही इस किस्म की कार्यवाही चलने देगा। हम ऐसी सरकार को बिल्कूल नही चलने देगे। डेमोक्रेसी का गला हरियाणा की बहादूर जनता और उसके नुमाइंदे नही घोटने देगें, जिस तरह से आप घोटना चाहते है। स्पीकर साहब, आप तो

इनको सलाह भी दे सकते होंगे, तो मेहरबानी करके इनका आप कहिए। आगे अभी कई दिन हैं, उसक मे ऐप्रोप्रिएशन बिल ने आंए।

श्रीमती ओम प्रभा जैनः स्पीकर साहब, जहां तक इस रूल का सम्बन्ध है। इस मे दिया हुआ है कि इस पर कोई अमेंडमेंट या डिबेट नही होगी। इस लिये आप इस वोट के लिये पुट करें।

Mr. Speaker: I Know that. (Interruptions)

चौधरी जय सिंह राठीः स्पीकर साहब, एक सबमिशन भी करनी है।

Mr. Speaker: You keep it very brief.

Choudry Jai Singh Rathi: I will be very brief, Sir.

जब बिजनेस एडवायजरी कमेटी की मीटिंग हुई थी, उस वक्त आपने उम्मीद जाहिर की थी और आपने हमसे पुछा था और आपने कहा था कि I hope that session will continue till fifth. तो उसी उममीद पर बहुत बाते चलती रही और उस वक्त चीफ मिनिस्टर साहब मोजूद थें, बड़े तमतराक से इन्होने भी कहा था कि पांच तक बिजनेस रख लीजिए, मुझे कोई एतराज नही।

श्री अध्यक्षः यह बात तो कही जा चुकी है।

चौधरी जय सिंह राठीः मै अर्ज कर रहा हूं कि आज मेम्बरान उधर के जैसे राव साहब ने भी कहा है मै उनकी बात को फुली स्पोर्ट करता हूं कि सोये ही नही। सबेरे से फिर हाउस मे बैठे हुए है। एक सिटिंग गुजार चुके है और दूसरी आ गई है ओर इनको भी कन्टीन्यू करना चाहते है। तो इन हालात मे, जो कुछ आज होना था वही होना चाहिए जैसा कि राव साहब ने बताया, हम उसको फुली स्पोर्ट करते है। इन हालात मे कोई भी ऐसी चीज नही आनी चाहिए कि जिससे यह जाहिर हो कि मेम्बरर्ज के साथ ब्रुटलि बिहेव किया जा रहा है। हम ह्यूम्न बीईंग है, अगर वह अपनी गद्दी को ज्यादा किमती समझते है तो दूसरो की जानों को भी थोड़ा बहुत कीमती जानें।

श्री अध्यक्षः वह तो सब हो लिया है। नो स्पीच प्लीज।

चौधरी जय सिंह राठीः मेरी थोड़ी सी सबमिशन है। . . ..

Mr. Speaker: There should be no speech. All this has been said.

श्री बंसी लाल : स्पीकर साहब, 16 तारीख को जब इनकी वोट आफ नो–कानफीडैन्स की मोशन आई तो उस को इन्होने विदड्रा किया। उसको हाउस मे पढा गया और सरकुलर सब मेम्बर्ज को भेजा गया। आपको याद होगा मैने यह कहा था कि पहले वोट आफ कनफीडैंस आना चाहिए, सरकार पहले वोट आफ कनफीडैंस लेना चाहती है फिर आगे बढना चाहिए, उन्होने

अपना नोटिस विदड्रा किया। उसके बाद स्पीकर साहब, इन को चार पांच और दस मौके मिल चुके है, हर डिमाण्ड पर मौका मिल चुका है, आज सवेरे मौका मिल चुके है, और अभी ऐप्रोप्रिएशन बिल पर मौका मिलने जा रहा है। इन का असली मकसद मौशन आफ नो–कनफीडैंस देने का यह नही है कि इससे कोई हल निकालना चाहते हैं। ये इसका मतलब सिंफ मेम्बर्ज को अननैसैसरिली यहां डिले करना चाहते है। जिन मेम्बरों को काम है वो अपने घर जाना चाहते है। इन का नो–कनफीडैंस मोशन से अगर कोई मतलब है या ये कुछ समझते है कि सरकार मे मेम्बरेा का कनफीडैंस नही है तो ऐप्रोप्रिएशन बिल अभी सामने आ जाता है।

Mr. Speaker: I will say only this much. My name has also been brought into this matter that in the Business Advisory Committee there was also this question of No-Confidence Motion, because it had been received by me by then. And, at that time, the Leader of the House had said that he would rather take that first and the deal with any other business. That much part is true. But, unfortunately or fortunately, the No-Confidence Motion was later withdrawn.

Rao Birender Singh: Sir, the programme at that time was upto 5th.

Mr. Speaker: Correct. The programme on that day was up to 5th.

श्री बंसी लालः स्पीकर साहब, अगर ये समझते थे कि सरकार में हाउस का कनफीडैंस नही है तो पहले वही डिसकस करवाना चाहिए था।. . . ..

श्री मंगल सैनः वह तो हमारी मर्जी है जी. . . . .

श्री बंसी लालः तो दूसरों की भी मर्जी है, अगर इ न की मर्जी है तो . .. .

मलिक मुख्तियार सिंहः आज लीडर आफ दी अपोजीशन ने इस मोशन के बारे आप से पूछा और. . . . .

You were pleased to remark, Sir, when asked wether the session will continue up to 5th, 'I hope so'.

Mr. Speaker: Now the point is, Chaudhri Sahib, that it is not the Speaker, but the House that is supreme. The house is the master fo itself. I am only like a referee or an umpire here and make sure that the proceedings of this House are conducted as per Rules provided for the House.

So, I will say in these matters you have heard on one side there were certain assertions made by the Leader of the Opposition and by certain other hon. Members an and on the other side by the Leader of the House. Well I do not want to comment on it. You have heard yourself that there was assertion of the Leader of the House that he wanted to deal with the No-Confidence Motion first. But unfortunately it was withdrawn. On the other hand there was another assertion

which has been made by Chaudheri Mukhtiar Singh and Rao Birender Singh. But I only want to stress that it is the House that is supreme and it is the house that is master of itself. I merely sit here to see that the proceedigns are conducted as per the rules.

खान अब्दूल गफ्फारः जनाबे वाला आनरेबल लीडर आफ दी अपोजीशन ने एक बाते कही और अड़े जोर के साथ फरमाया कि मेम्बरो को सारी रात सोने नही दिया गया तो जनाब मै अर्ज करना चाहते हूं कि अगर हम लोगो को सोने नही दिया गया, जब ये कहते है हम को नही सेाने दिया गया तो फिर इनको क्या तकलीफ हुई (व्यवधान) वैसे तो हम जानते है कि जो तकलीफ हुई होगी। लेकिन. . . . .

राव बीरेन्द्र सिंहः स्पीकर साहब, हमारे मेम्बरों को भी नही सोने दिया गया। इसलिए तफलीफ तो हुई ही?

खान अब्दूल गफ्फारः स्पीकर साहब, यह तो हम जानते है जो तकलीफ हुई है। अगर तकलीफ हुई होगी तो वह हम बरदाश्त करेगें। अगर नाकाबले बरदाश्त हेागी तो हम नही करेगे। इन को क्या फिकर पड़ी हुई है? (व्यवधान) जैसा कि कहा जाता है, कि कोतवाल साहब आप क्यो दुबले हो रहे है, ''जनाब शहर अंदेशें से। (व्यवधान)

चौधरी रणबीर सिहः खां साहब, आप तो आराम से सोए थें।(व्यवधान)

मलिक मुख्तियार सिंहः स्पीकर साहब, आपने फरमाया है कि रूल्ज के मुताबिक असेम्बली को चलाना है। स्पीकर साहब, हम तो चाहते है कि रूल्ज के मुताबिक कार्यवाही हो। कोई न कोई सस्पेंस के लिए या नो–स्टाप हाउस चलाने के लिए कोई ऐसे एक्स्ट्राआर्डिनरी हालात तो होने चाहिए, कोई वेलिड रीजन्स होने चाहिए या कोई ग्राउंड्ज होने चाहिए। स्पीकर साहब, यह भी आपने ही देखना है कि रूल्ज फ्लाउट न किए जाएं। इनका जायज इस्तेमाल यिा जाए और इनके मुताबिक ही हाउस को चलाया जाए।

Mr. Speaker: The point is that when this things was brought to me, I consulted the Rules and hundreds of precedents were brought to my notice when the House was required to work as is being done today. So it is not only today that this is being done but there are hundreds of precedents, I can quote.

Malik Mukhtiar Singh: But not after two sittings. (Interruptions)

Mr. Speaker: Now, the Question is—

That the proceedings on the items of business fixed for today be exempt5ed at this day's sitting from the provisions of the Rule 'Sitting of the Assembly' indefinitely.

The Motion was carried.

ADJOURNMENT OF THE ASSEMBLY SINE-DIE

Chief Minister (Sh. Bansi Lal): Sir, I beg to move—

That the Assembly at its rising this day shall stand adjourned sine-die.

Rao Birender Singh: Sir, How can it be done?

A Voice: Let it be moved and then you raise objection.

Mr. Speaker: Motion moved—

That the Assembly at its rising this day shall stand adjourned sine-die.

राव बीरेन्द्र सिंहः स्पीकर साहब, मै अर्ज करता हूं कि अंडर रूल्ज जब एक फेसला हो चुका हाउस का.. . . .. (व्यवधान)

Mr. Speaker: It was my decision.

Rao Birender Singh: This was also the decision of the House when we asked for leave and the required number stood up for No-Confidence Motion to be discussed on a particular day and the hon. Speaker has fixed a day and time already. In that case there can be no question before the House for adjourning the House Sine-die because if it is adjourned side-die, then we cannot meet on the 3rd of March. that is not possible and therefore, the motion is redundant.

Malik Mukhtiar Singh: Mr. Speaker, Sir, I want to invite you attention to the provisions of the rules. Rule 16 of these Rules reads as—

"Subject to the provisions of the constitution and these Rules the Assembly may be adjourned from time to time by its own order:

Provided that a motion for adjournment of the Assembly to a day or sine-die shall not be made except in consolation with the Speaker."

So, Sir, it is subjected to provisions of the Constitution and these Rules. Now it is these Rules which provide for discussion on the No-Confidence Motion. So, I Would now like to draw you attention to Rule 65 relating to No-Confidence Motion and under these Rules you have already been pleased to give us time for discussion on the No-Confidence Motion. Since the Hon. Speaker has allotted time for the discussion on the No-Confidence Motion, the motion can be moved subject to the provision of these Rules and Rule 65 is one of these Rules and therefore this motion cannot be brought. At the same time, Sir here we would like you to give us protection as it is provided in this rules—

That is cannot be made except in consolation with the speaker.

श्री बंसी लालः स्पीकर साहब, आपके मोशनव हाउस मे पढ देने के बाद कोई इस तरह से आबजैक्शन रेज नही होने चाहिए। इससे पहले लीडर आफ दी अपोजीशन ने कहा था कि आपने मोशन पढ दिया और काल–अपौन कर दिया तो यह भी पढ़ दिया गया, उसके बाद यह सवाल भी पैदा नही होता।

Sh. S.P. Jaiswal: On a point of order, Sir. Mr. Speaker, according to the provision in the Rules and the Parliamentary procedure, the adjournment of a House can be determined only by you, as Speaker, particularly when this is sine die adjournment. Therefore, may we know, sir, if you have consented to the adjournment of the Sine-die, it would be contrary to your earlier decision allowing this House to take up the No-Confidence Motion for discussion on the 3rd of March. Sir, the relevant Rule reads as follows:-

"Provided that a motion for adjournment of the Assembly to a day or sine-die shall not be made except in consultation with the Speaker."

And, Sir, this consultation implies the permission of the Speaker. If the 'Consultation' was to merely mean that . .. . May I request the Speaker to bear with me for half Minute?

Mr. Speaker : Please carry on.

Sh. S.P. Jaiswal: Sir, if the consultation was to merely mean that the Speaker is merely to be told, it would not have been so written as to say that it cannot be moved "except in consultation with the Speaker". So, sir, I may again stress that the word 'consultation' implies permission.

Then, Sir, I will draw you attention to the Parliamentary Procedure on the subject. The Parliamentary procedur4e clarifies this particular Point. It says that the Speaker determines whether a sitting of the House is to be adjourned sine-die for the House when the business is before the House, the entire power has been placed with you and the

adjournment motion can only be moved after you have agreed to an adjournment of the House sine-die.

श्री बंसी लालः स्पीकर साहब, मेरी सबमिशन यह है कि यह वही प्वायंट दोगारा रेज कर दिया है। इापके हाउस मे पढ देने के बाद ओर आपने अपने कंसेंट से खुद ही पढा। इसके बाद यह आबजैक्शन रेज करने की इजाजत नही होनी चाहिए।

Mr. Speaker: The Point is that the word mentioned there is 'consultation' and not 'agreement' or 'consent'.

Sh. S.P. Jaiswal: Sir, it is clarified in the Parliamentary Prac5tices and Procedure where it is made very clear that the Speaker would determine when the House is to adjourn sine die.

Mr. Speaker: No please. unfortunately, the Rules in the Parliament and here with regard to the adjournment of the House side die are different.

Sh. S.P. Jaiswal: Sir, the Rules have to be based on the Rules of Procedure in Parliament, and they are not in conflict with our Rules. You have also precedents and there is no conflict in the Rules of Parliament and our Rules.

Mr. Speaker: Incidentally, on this very point I had taken the views and advice of a number of Legislative Assemblies, Vidhan Sabhas, as also of the institute of Constitutional and Parliamentary Studies. So, when I did that I did it after proper consideration.

Sh. S.P. Jaiswal: Here there is no conflict. The Question is what doe3s the word 'consultation' here mean? May I read it out?

Mr. Speaker: I have heard that. there is no need to read it again.

Rao Birender Singh: Now Sir, the next points is the basic point on which democracy hinges. the decision of the House on this point will mean a lot for further democracy in India. The point is whether after a No-Confidence motion has been admitted and approved of, by the House for the purpose of discussion and a date has been fixed, can the Treasury Benches bring a Motion for the adjournment of the House sine die, and scuttle the no confidence motion in this most undemocratic way and this is where the democracy today looks upon you to uphold it.

Mr. Speaker: As I said before, I had consulted the various Vidhan Sabhas as will as the Institute of Constitutional and Parliamentary Studies who are experts on this matter and this very q question was posed that what happens if these two motions come before the House the same day, i.e. the motion of no-confidence as well as the adjournment motion sine-die. So, the view which I have been informed or told or the advice is that in such a case the no-confidence motion will take precedence for consideration. But the House is, as I said earlier on, the master and not the Speaker. The House is fully entitled to take a decision of its own to govern its conduct or sittings or so on. I am quite clear that there it was my judgment. It was my decision because I am quite clear that there it was my judgment. It was my

decision because I am empowered to fix the time and date for the discussion of the No-Confidence Motion. On the other hand, in adjournment motion sine die, it is the Leader of the House who can move this motion in consultation with the Speaker, mind your, but not with agreement. he can consult me. But then he can take his own decision. Then, it is the House that is the master.

Master Mukhtiar Singh: Every time there is breach of rules by the Ruling Party with brute majority. (Interruptions)

Mr. Speaker: Will you be happy if I give you two hours today?

Sh. Mangal Sein: No, Sir. Third of March has already been fixed for this purpose.....

Mr. Speaker: Well, in that case if you feel this way.....

A Voice from the Opposition: You have already given your ruling.

Mr. Speaker: After all there are various aspects that have been brought to my notice.....

Sh. Bansi Lal: My Humble submission is that the motion may be put to the House.....

Mr. Speaker: I am going to do that. I have already given my ruling.

Sh. Bansi Lal : If they want to do anything, they can do it on the Appropriation bill which is just coming before the House. It is the next item on the Agenda.

मलिक मुख्तियार सिंहः जनाब, यह रूल्ज किस लिए बनाए थे? वह क्यों कोट किए जा रहे है, when these r ules can be suspended at any moment for their convenience and expediency?

Mr. Speaker: I am afraid, this is not correct. we are following the rules in a very strict manner.

Malik Mukhtiar Singh: Then these rules should not be quoted and these can be suspended for all times to come.

Rao Birender Singh: I will again make a humble submission. This is where we are standing of a turning point today, either the end of democracy in India or it is survival of democracy.

A Voice from Treasury Benches: In India? (Interruption)

Rao Birender Singh: Yes. Would you kindly consider the implications of the decision that this House might take today after the specific allegations have been made and the circumstances forcing us to bring this no-confidence motion that members were not allowed to exercise their right of membership? After a no-confidence motion has been admitted by the house and a date has been fixed if a Government by virtue of the temporary majority that it has created by terror at this moment in this House, if they can

finish the right of the people and the right of the representatives to unseat it by bringing a no confidence Motion, if this takes please then I am sorry to remark that it is not possible under this system of democracy that we are going to adopt to unseat any unpopular Government anywhere in India in future. This is my humble submission that you will kindly consider its implication fully and it cannot be the decision of the House alone. After all there is parliamentary democracy in India. There are other States also and a lot depends on what we are going to do today. (Interruptions)

Mr. Speaker: Now, since you are bringing these things repeatedly I will have to mention a few things. What does democracy mean? It is the rule by majority. After all you brought the no-confidence motion. It was being accepted as a challenge but it was later withdrawn. They you have been meeting for the last 10 days and today accusations are being made. I did not want to sway all this. I had finished the whole things earlier. But since these things are being made, after all, I have certain responsibility and I have to bring certain facts to you notice. (Interruption)

श्री मंगल सैन: यह कह रहे थे कि सदन 5 तारीख तक तो बैठेगां.. . . . .

Mr. Speaker: Kindly let me finish. As I said, we have been in session for the last 10/12 days. Every day there have been opportunities for the Opposition.....

Malik Mukhtiar Singh: This is not a question of opportunities, Sir.....

श्री मंगल सैनः जनाब मै कुछ कहना चाहता हूं . . . . .

Mr. Speaker: When you people get up I keep on listening for a long time and with patience but can't you listen to me for a few minutes.

मलिक मुख्तियार सिंहः हमारा पेशेंस एग्झास्ट हो रहा है।

श्री अध्यक्षः पेशेंस मेरा भी एग्झास्ट हो रहा है।

Sh. Bansi Lal: We are meeting for the 15th day today.

श्री मंगल सैनः जनाब कितनी हैरानी की बात है। यह 12 बिल है और यह एक ही रात मे पास करवाना चाहते है।

Mr. Speaker: Kindly listen to me. A statement was made just now that this House is terrorized for the moment. You have been here for 15 Long days. Were they terrorized for all the fifteen days?

Malik Mukhtiar Singh: In fifteen days, how many sittings, Sir?

Mr. Speaker: At least 10/12 sitting.

Sh. Mangal Sein: Only 11 sittings.

Mr. Speaker: All right, 11 sittings. And on every second, in fact, on every day, at times-10 times, you got the opportunity to throw them out.....

मलिक मुख्तियार सिंहः थ्रो आउट करने का क्या है..... (विघ्न)

Mr. Speaker: The point here is that the House is supreme, not the Speaker. The House is the master of itself and I assure you and those of you who have any doubt left that the same problem was posed by me to my various colleagues in the Vidhan Sabhas in India as ell as to the Institute of Constitutional and Parliamentary Studies and the advice is that this is the procedure that i am following. I have given a date. Then they have certain privileges. They have brought a motion. The House is the judge and the master, not myself.

राव बीरेन्द्र सिंहः मै एक ही मिनअ आपका लूंगा। आपने जो रूलिंग दी है, अगर आप उस पर गौर करे तो इससे यही मतलब निकलेगा कि जो प्रोवीजन, नो–कन्फीडैंस मोशन का गवर्नमैंट के फल्योरज पर डिसकस करने का रूल्ज मे प्रोवाइडिड है कि सिर्फ 18 मेम्बर्ज के खड़े होने की जरूरत है, ता वह तो रिक्वायर्ड नम्बर मे मैम्बर खड़े हो गए.....

श्री बंसी लालः जनाब इन्होने तो एक मिनट के लिए कहा था और यह तो स्पीच देने लग गये।

राव बीरेन्द्र सिंहः डेमोक्रेसी मे मेम्बर्ज का बुनियादी हक है नो–कन्फीडैंस मोशन लाने का और नो–कान्फीडैंस मोशन किसी भी सैशन मे लाना चाहे, उससे कुछ बने या न बने, बुनियादी हक होता है अपोजिशन का आज उस हक को बिल्कूल खत्क किया जा

रहा है। अगर इसी तरीके से मैजोरिटी के भरोसे सरकार किसी नो–कन्फीडैंस मोशन रद्द कर दे, ताकि वह डिसकस ही न हो सके और इस तरीके से हाउस ऐडजर्न हो ताये तो इस रूल का कोई मतलब ही नही निकलता है और यह रूल खत्क हो जाता है। स्पीकर साहब, आप ने फरमाया कि हाउस मास्टर है, लेनिक मै बड़े अदब के साथ दरखवास्त करूंगा कि यह हाउस रूलज के तहत ही मास्टर है रूल्ज से बाहर नही। अगर रूल्ज से बाहर हाउस चलता है तो रूल्ज पर हाउस को चलाना चेयर की जिम्मेदारी बन जाती है। इन हालात के अन्दर अगर इस किस्म का सिलसिला चलता है तो हमे बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि हम इस लैजिस्लेचर मे बैठ कर क्या करेगें और जनता क्या करेगी अगर यह हक छिन जाता है। मै अर्ज करूंगा कि आप इस फैसला पर नजरसानी करें ताकि डेमाक्रेसी का मुह जहा से उजला हो कर जायें।

Mr. Speaker: I accept the connection that the House is the master of itself under the rules. Now I would like to know from Rao Sahib or any other friend if you can say under so and so rule the other side cannot move this 'sine-die' motion.

Rao Birender Singh: Sir, this is very clear that no-confidence motion shall take precedence over every other business, that is, for the purposes of ascertaining the views of the House and for fixing a date before anything else happens in the House. And after that has been done anything to scuttle

that decision already taken by the House under these rules is absolutely illegal.

Malik Mukhtiar Singh : Sir, I want to make a submission.

Mr. Speaker: Could you kindly take your seat. We have3 lost a lot of time.

Malik Mukhtiar Singh: Sir, I want to make a submission. Sir, the Business Advisory Committee was formed under these rules. A decision was taken by the Business Advisory Committee to carry on with the House up till 5th. Now I want to seek you protection.

Sh. S.P. Jaiwal: Sir, rule 16 reads—

"Subject to the provision of the Constitution and these Rules the Assembly may be adjourned from time to time by its own order:"

This is where the rule says that the power vests in the House. But one restriction is pleased on the powers of this House by the Rules it self, which says—

"Provided that a motion for adjournment of the Assembly to a day or sine die shall not be made except in consultation with the Speaker:"

That is, there is restriction on the House itself. Earlier the rule says that the House 'may be adjourned from time to time by its own order'. This is given here. What you have said is that 'the House is the Master of itself', but by the proviso to the rule a restriction is places on the House itself.

so under these circumstances the House will not exercise that power and what is that: they will not do so except in consultation with the Speaker (Interruptions)

Mr. Speaker: Now I would like to know your version as to what the word 'consultation' means.

Sh. S.P. Jaiswal: Consultation means determination of permission from you

Mr. Speaker: Will you please quote the rule?

Sh. S.P. Jaiswal: Sir, I am quoting from the "Practice and Procedure of Parliament" by Kaul and Shkdher who are supposed to be an authority on the subject. It says—

"The Speaker determines whether a sitting of the House is to be adjourned sine die or to a particular day……

It does not say 'House' . It say 'the Speaker determines'. This word 'determination' under the Parliamentary procedure is really the interpretation of the word consultation' under these rules. 'Consultation' here does not meant telling you that 'I am going to move it'……(Interruption)

Mr. Speaker: Do you think that the Book has been written after consulting our Rules of procedure?

Sh. S.P. Jaiswal: I am drawing you attention to the rules of Lak Sabha, the procedure prevalent in the Parliament. our rule is based on this rule.

Mr. Speaker: I Will now read our rule and the rule which you have read, that is, followed by the Lak Sabha. Tha Lok rule on the subject reads—

"The Speaker shall determine the time when a sitting of the House shall be adjourned sine die or to a particular day. or to an hour or part of the same day:"

This is Lok Sabha rule.

Sh. S.P. Jaiswal: Sir, if you look at our rules, it vests the power of adjournment from time to time in the House. It say-taht the House may adjourn for m time to time under its own authority.

Mr. Speaker: Kindly now sit down.

I have told you what you have read, that is the rule provided in the procedure of Lok Sabha. On the other hand our rule says – marks the difference—

"Subject to the provisions of the Constitution and these Rules the assembly may be adjourned from time to time by its own order:

Provided that a motion for adjournment of the Assembly to a day or sine die shall not be made except in consultation with the Speaker:"

Now see the difference. There the Speaker determines.

Chaudhry Sarup Singh: Mr. Speaker, this is not the time when the meaning of the Word 'Consultation' is to be

sorted out. that stage has passed. That stage was only before the Speaker ruled the Motion in order. Had you thought at that time that the motion was motion in order, you would have ruled it out of order. But once you ruled the motion in order and the motion has been read out in the House now it has become the property of the House and it cannot be withdrawn except by the member who has moved the motion. When it cannot be withdrawn it cannot be ruled out and the votes of the House must be taken on the motion.

Sh. S.P. Jaiswal: On a point of order, Sir. May I Know what was the necessity of providing a proviso to the rule when the basic power vested in the House because according to the original rule 16 'the house may be adjourned from time to time by its own order'? The necessary of putting this proviso was that when you feel under certain circumstances the motion is not to be moved.

Mr. Speaker: There is a Supreme Court ruling about this. is not readily available. But I can assure you that the word 'Consultation' does not mean permission or agreement.

Sh. S.P. Jaiswal: Then this proviso is unnecessary and redundant, because original rule provided that the House may be adjourned from time to time. Why did it become necessary to consult you?

Mr. Speaker: Consultation is one thing. It is a good thing to consult.

Sh. S.P. Jaiswal: In rule 16 there is no provision about consultation. It is only by proviso, which says, that the motion shall not be bought.

Mr. Speaker: Without consultation?

Sh. S.P. Jaiswal: Yes. What was the necessary of it?

Mr. Speaker: Kindly Sit down.

Before concluding I may repeat again that 'Consolation' does not mean agreement or permission.

One Voice: That is your Interpretation.

Mr. Speaker: Naturally is depends upon individuals. I will satisfy you. I have asked for the ruling of the Supreme Court in this regard. Surely 'Consultation' does not mean permission or aggreement.

Rao Birender Singh: There is one thing which I will place before you. This is about the rule which provides that the business of no confidence shall take precedence over any other business. Now, this no confidence motion has come before the House and a date has been fixed for it. The business concerning no confidence does not finish till 3rd and till such times as this business is over, it will take precedence over any other business. The other business is the motion of the leader of the House about the adjournment of the House sine die. And, the business s of the no confidence motion, after it has been placed before the House, is the discussion on it. Therefore, I will submit that the rule is very clear. This

business must take precedence and no other businesses can come for that day.

Mr. Speaker: As I said earlier, I can give you two hours now for discussing it. On the other hand, as I said, the House is the Master. I may also add that I have not been pointed out any rule prohibiting the Deader of the House moving a motion sine die.

Rao Birender Singh: Sir, I am very much pained to hear all this, And with a very heavy heart, but with all respect to you personally and for the Chair, I think, democracy demands that we must fight for our rights. * * * ** * * * * ** * *

चौधरी रणबीर सिंहः अध्यक्ष महोदय, मै अड़ी शान्ति के साथ आज की कार्यवाही सुनता रहा और मेरा इरादा यह है कि आज की कार्यवाही मे मै कोई हिस्सा नही लूंगा खास तौर पर उस वक्त जब तक कि बिलों पर बहस शुरू न हो जाए।

अध्यक्ष महोदय, जहां तक हमारे प्रक्रिया रूल और कायदे कानून का ताल्लूक है, आपने उसके मुताबिक फैसला दिया है। मै महसूस करता हूं कि ... .

श्री अध्यक्षः आप किस चीज पर कह रहे है?

चौधरी रणबीर सिंहः मै जनाब मोशन पर बोल रहा हूं। मै समझता हूं कि इस फैसले से विरोधी दल के दिल मे काफी चोट लगी है। मै विरोधी दल के नेता से प्रार्थना करूंगा कि वे इस मामले पर जरा सोचे। उनके दिल मे जो चोट लगी है, मै

उनका मानता हूं। उनको आपके (अध्यक्ष) खिलाफ कोई गिला नही है। और आपने जो फैसला दिया है उसको वे खुद मानते है। कि हमारे सदन के रूल और प्रक्रिया के मुताबिक फैसला दिया है। * * * * * * ** * * * * * *

Mr. Speaker: * * ** * * * ** * * * * Let me now put the motion to the vote of the House. Question is—

That the assembly at its rising this day shall stand adjourned sine-die.

The motion was carred.

PRESENTATION OF REPORTS OF COMMITTEES

Khan Abdul Ghaffar Khan(Chairman, P.A.C.): Sir, I beg to present the Second Report of the Public Account Committee for the year 1969-70.

WALK OUT

राव बीरेन्द्र सिंहः स्पीकर साहब, आज तो ये मैजोरिटी बता रहे है लेकिन कल का इन्तजार नही करना चाहते। इसलिए हम इनको पूरी छूट्टी दे रहे है और हम आप से भी और इनसे भी माफी मांगते है।

(इस समय विरोधी दल के सब सदस्य सिवाए चौधरी चांद राम के सदन से उठ कर बाहर चले गए)

PRESENTATION OF REPORTS OF COMMITTEES

Shrimati Chandravati (Chairman, Estimates Commitee): Sir, I beg to present the Second Report of the Estimates committee on the Budget Estimates for the year 1969-70.

Chaudhry Chand Ram (Chairman, Subordinate Legislation Committee): Sir, I beg to present the Second Report of the Second Repot of the Committee on subordinate Legislation for the year 1969-70. (At this stage Chaudhry Chand Ram also staged a walk out)

Sh. Ram Dhari Gaur: Sir, on behalf of the Chairman, Committee, on Government Assurances, I beg to present the Second Report of the Committee on Government Assurances for the year 1969-70

Mr. Speaker, It has not been possible to get the copies of teh Report printed. I have presented a typed copy of the Report. The Report is under print and copies thereof may be supplied to the members at their home addresses as soon as they are received from the press.

BILL(S)

THE HARYANA APPROPRIATION (NO.2) BILL,1970

Finance Minister(Shrimati Om Prabha Jain): Sir, I beg to introduce the Hayana Appropriation (No.2) Bill, 1970.

Smt. Om Prabha Jain: Sir, I beg to move—

That the Hayana Appropriation (No.2) Bill, be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Motion moved—

That The Hayana Appropriation (No.2) Bill, be taken into consideration.

Hon. Members, now we take up discussion on the Appropriation, Bill. According to Rule 225(2), I have to apply gukllotine at 6.0' clock and forth with put every question, necessary to dispose of all the outstanding motions in connection with the stage or stages of the Bill.

चौधरी रणबीर सिंह (किलोई): अध्यक्ष महोदय, वैसे तो सभा के हरेक सदस्य को मालूम है कि मुझे सौभागय मिला था इस देश के लिए विधान बनाने वाली संस्था का एक सदस्य होने का और उसके बाद सौभाग्य मिला हिन्दुस्तान की लोक सभा मे, फस्ट लोक सभा, सैकिण्ड लोक सभा और प्रोविजनल पार्लियामैंट मे, एक सदस्य के नाते काम मे हिस्सा लेने और देखने का। हमे याद है कि उस वक्त कहा करते थे और हिन्दुस्तान का विधान बनाने का यह ख्याल था कि जैसे विलायत की पार्लियामैंट मे प्रथा है, सदन हमेशा चलता है ताकि देश की कार्यवाही के ऊपर चुने हुए सदस्यों का कुछ छाप रहे, उनका असर रहे और विलायत के अन्दर तीन–चार कस मैजारिटी से भी सदन उसी तरह से चलता रहे, उसी तरह से हमारे प्रदेशो मे विधान सभाओं से औरप देश की राज्य सभा और लोक सभा मे होगा। राज्य सभा मे हमारे मुख्य मंत्री जी, को सेवा करने का मौका मिला, सदस्य रहने का मौका मिला 6 साल तक, और उन्होने वहां की कार्यवाही मे हिस्सा

लिया और देखा, वे मरी इस बात से सहमत होगें कि ऐसी मिसाल जो आज यहां हुई है वहां की मौजूद नही हैं।

(इस समय अपाध्यक्षा पदासीन हुई)

उपाध्यक्ष महोदया, अभी जिस बात की तरफ मेरे कुछ भाई, खासतौर पर हमारी काग्रेस के महामंत्री, बनारसी दास जी गुप्ता, इशारा कर रहे थें।(विघ्न) उसकी एक एक बात का इतिहास मै आपके सामने रखूंगा। उपाध्यक्ष महोदया, मै कई सालों तक पंजाब असैम्बली के अन्दर मैम्बर चुनकर आता रहा और कुछ दिन हरियाणा विधान सभा का, पंजाब के पुनर्गठन होने के बाद, भी सदस्य रहा लेकिन ऐसी बाते कभी देखने मे नही आईं। डिप्टी स्पीकर साहिबा, आप भी बहुत पहली वाली पंजाब कौंसिल की डिप्टी चेयमैन भी रही है और आप भी मेरे से सहमत होगी कि यह बात जो अब हो रही है यह बिल्कूल नई हैं। यह एक तरह से सांस को बंद करने वाली है और प्रजातन्त्र का गला घोटने वाली बात हो रही है। उपाध्यक्ष महोदया, मै कोई योगी नही। मुझको ज्ञान नही था कि आने वाले कल मे कुछ और भी ज्यादा होगा। कल जो कोई दोस्त मुझ से कहने आया कि पिंजौर चलो, मैने उससे मजाक के तौर पर यही कहा था कि मेरा इरादा तो सी.पी. आई. मार्कसिस्ट मे जाने का है। उस वक्त जब मैने यह बात कही थी वह बिल्कुल दूसरे नुक्तानिगाह से कही थी लेकिन आज तो मुझको लगा कि या तो वह पीढी जिसने यह विधान बनाया था वह इस देश से मिट रही है, और इस प्रदेश से भी मिट रही है तथा

उस पीढी के सदस्यों को सदनेा का मैम्बर नही रहना चाहिए या एक नया विधान बनाने के लिए हिन्दूस्तान के आज के हालात को देखते हुए एक नई सविधान सभा हमारे देश को बनानी चाहिए, क्योंकि हमारे सारे ही प्रदेशो मे कुद नई नई बातें होने लगी है और हमारा प्रदेश इसमे सबसे आगे ता रहा है।

उपाध्यक्ष महोदया, इन्होने जो कुछ किया, मै उसकी ताईद करने के लिए तैयान नही हू और न ही जो कुद हमारी कांग्रेस पार्टी कर रही हें उसकी ताईद करने के लिए तैयार हूं। यह हमारे सविधान का जो आशय था उसके विरूद्व है। उपाध्यक्ष महोदया, जैसेा मैने पहले कहा था, अध्यक्ष महोदय, ने जो हमारे कायदे कानून के मुताबिक इन्अरप्रटेशन हो सकती थी, उसके मुताबिक कार्यवाही की और मै कृतज्ञ हुं विराधी दल के नेता का जिन्होने मेरी अपील के ऊपर एक करारी चोट, जो वे प्रजातंत्र के ऊपर लगा रहे थें, लगाने से अपना हाथ रोक लिया। मैने सिर्फ सात दिन से या दस दस दिन से कह लिजिए एक–आध दिन छोड़कर चाहे प्रश्नोतर का घन्टा ाि या कोठ बहस–मुबाहसे का वक्त था, उसमे हिस्सा लेने की कोशिश की और मै जानना चाहता था कि मेरी पार्टी के मन्त्रिमण्डल के सदस्यों, जिनमे से एक बहन मेरे साथ भी मन्त्रिमण्डल की मैम्बर रही हैं, को तरवीयत पूरी मिली है या नही। उपाध्यक्ष महोदया, आप भी कुर्सी पर रही है, मेरे साथ सहमत होगी। कि मुझे हर सवाल का जवाब या तो गल्त मिला या नदारत मिला। इसलिए मैने एक वक्त कहा था कि

मुझको कुछ ऐसा लगता है कि जो पुराने सदस्य है वे इस मन्त्रिमण्डल को बुछ पाठ भी पढाए। तो इस पाठ को पढाने का इरादा अब की दफा किया है।

पहले हमे बताया गया थरा कि लम्बा सदने होगा अर्थात काफी टाईम तक सैशन चलेगा। जो भी फैसला हुआ उसके साथ मैने भी अपनी राय दी। मैने अपनी राय इसलिए दी थी कि शायद ये यह न समझे कि मै ही कांग्रेस पार्टी को तुडवाना चाहता हूं ओर कुछ मेरो साथी यह भी कह सकते है कि हम तोड़ने मे नाकामयाब रहे।। लेकिन जो भाई भी मुझको मिले मैने हरेक से यही कहा कि मेरा आज ड्रामा करने का विचार है। मैने अपने नजदीक से नजदीक दोस्तों और रिश्तेदारों को भी कड़वी से कड़वी बाते कही। उसका भी एक कारण है। जब यह मिडटर्म इलैक्शन हुआ उसके बाद मुख्य मंत्री जी, के लिए मेरे नाम की काफी चर्चा चली थी। उस समय प्रधान मंत्री और कांग्रेस पार्टी के प्रधान आज चाहे वे अपोजीशन काग्रेंस के प्रधान है, उनका विचार था कि मुझ को इस प्रदेश का मुख्य मंत्री बनाया जाए। उन्होने यह भी कहा कि यह प्रदेश के हित की बात हे। कल जो मैने ड्रामा रचा वह इसलिए रचा कि वे साथी अब भी मुझ को मुख्य मंत्री बनाने मे खुश है या नही। क्या वे डेढ साल के अन्दर मेरे साथ ही है या अब वे बदल गये है या चाहे वे केन्द्रीय कांग्रेस के नेता थे, चाहे वे हमारे प्रदेश के कांग्रेस के नेता है जिन्होने मुझे मुख्य मंत्री पद के लिए रूकावट डाली थी। क्या उनके दिल

अब बदल गये है या नही । मैं आज बड़े जोरो से कहता हूं कि मै कांग्रेस से नही जाऊंगा। जो आज हमारे रेलवे मंत्री है इस विषय पर उनसे भी राय ली थी। हमारे जो उप–प्रधान मंत्री जी मोरार जी देसाई जो उस समय मेरे हक मे नही थे और जो आज रूलिंग कांग्रेस को छोड़कर चले गये हैं उनसे भी राय ली। तो मुझे पता लगा कि उनकी भी राय बदली हूई है और नन्दा जी की भी राय बदलीक हुई है और पंडित भगवत दयाल शर्मा जिन्होने मुझ को इस जिम्मेदारी के पद पर आने मे रोड़ अटकाया था उनकी भी राय बदली हुई है और आप यह भी जानते है जब ड्रामा आप करते हैं तो उस ड्रामे मे जिससे ड्रामा कराया जाता है तो उसकी भी राय की कदर होती है। मै तो उचित समझता हूं कि उनकी राय की कदर करनी भी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदया, चन्द दिन पहले मुझे पंडित भगवत दयाल जी का टैलीफोन आया। उन्होने कहा कि मै बीमार हूं इसलिए आप मुझ को मिलने आए। मै वहा गया। मैने वहां देखा कि उनकी मेरे बारे मे राय बदली हुई हैं। उसके बाद मै चौधरी रिजक राम जी से मिला जिनको हमारे मुख्य मंत्री ने चौधरी देवी लाल जी, जो हिन्दुस्तान की आजादी के बहादूर सिपाही थें, की जगह राज्य सभा के लिए चुना था। दूसरे मनीराम गोदारा को भी मैम्बर नही बनने दिया। मुख्य मंत्री ने प्यार मे उनको राज्य सभा का मैम्बर बनाया।

उपाध्यक्ष महोदया, इस प्रदेश के अन्दर चण्डीगढ़ के लिए मांग उठवाई गई और कहा गया कि हम अपनी मांग मनवाएगें और इस बात की हिन्दूस्तान की सरकार और इण्टेलीजेन्स ब्यूरों शहादत देगा कि ि जतने भी ट्रक दिल्ली के अन्दर गये वे सब सरकार की मर्जी के बिना नही जा सकते थें। मै अपने मुख्य मंत्री जी, को और मंत्रि–मण्डल के लोगों को शाबासी देता हूं कि उन्होने अपनी कुर्सी की परवाह न करते हुए चण्डीगढ़ की खातिर आवाज पैदा की थी। उपाध्यक्ष महोदया, जैसा कि मैने पहले भी कहा है कि हम सभी फेल हुए। हमारी सरकार भी फेल हुई, कांग्रेस पार्टी भी फेल हुई और विरोधी दल के नेता भी फेल हुए और हिन्दूस्तान की सरकार के नेताओं ने चण्डीगढ़ पंजाब को दे दिया। जब चण्डीगढ़ का फैसला हुआ तो जनता मे और बच्चो मे जोश पैदा हुआ। उसका अन्दाजा जो हालात इुए उनसे लगाया जा सकता है। इस मौके पर चाहे बच्चों ने अवहेलना की थी या नही, परन्तु उनके कदल पर इस फैसले का जबरदस्त असर हुआ। जब चुनाव होता है तो उस मौके पर हम को बच्चे बोलने नही देते है वे खुद हमारे लिए आवाज उठाते है। वे इसलिए उठाते है कि वे आजाद हिन्दुस्तान के बच्चे है, आजाद हिन्दुस्तान मे पैदा हुए है, उनके दिल मे ज्यादा असर होता है हमारे वक्त मे इतना नही था क्योकि हम तो गुलामी में पैदा हुए थें। हमारे पर उस समय अग्रेजों का डर छाया हुआ था। उपाध्यक्ष महोदया, उन नन्हे नन्हे बच्चो के दिलो मे चोट लगी जब चण्डीगढ़ चला गया।

उपाध्यक्ष महोदया, मै अपने प्रदेश की सरकार के नेताओं से और हिन्दुस्तान की सरकार से जो हमारे नेता है उनसे निवदेन करूंगा कि वे आगे आऐगें और लोगों को रास्ता दिखाएगें। ठीक है जो कुछ भी चण्डीगढ़ का फैसला हुआ वह सब चुप–चाप हो गया, परन्तु इसका अन्दाजा नही किया गया कि बच्चों के दिल पर उस फैसले की क्या चोट लग सकती है?

उपाध्यक्ष महोदया, मेरे मकान पर रोहतक मे सबसे पहले हमला हुआ और आज भी मेरे मकान पर मुख्य मंत्री जी, की कृपा से पुलिस का पहरा लगा हुआ है ओर जो बच्चो को दूसरे रास्ते पर ले जा रहे है शायद वे इस बात से इन्कार नही करेगे कि चौधरी रिजक राम, चौधरी राजेन्द्र सिंह और चौधरी रणधीर सिंह को भी नुकसान पहुंचा हे। मैने पहले तो मुख्य मंत्री जी, का शुक्रिया आद नही किया था। लेकिन आज के दिन मैने उसकी जरूरत समझी हैं, मै उनका मश्कूर हूं कि उन्होने मेरे मकान का बचाया। उपाध्यक्ष महोदया, मै यह कहे बगैर भी नही रह सकता कि वे नन्हे बच्चे हरियाणा की मांग का समर्थन करने के लिए गयें थे वे किसी के मकान पर डाका मारने नही गये और न ही वे किसी का मारेने के लिए गये थे। उन्होने वहां जो कुद किया वह जोश मे आ कर हो गया।

उपाध्यक्ष महोदया, पंजाब के अन्दर मंत्री बनने का मौका मिला था और उस पंजाब के अन्दर एक बार अमृतसर मे एक जलेस निकाला गया जिसमे हिन्दू और सिंख, दोनो का जलूस था।

उस समय पर मै पंजाब प्रदेश कांग्रेस का महामंत्री था। एक तरफ अकालियो का जलूस था दूसरी और जनसंघी भाईयो का था। उस समय की सरकार ने उस टाईम दोनो के कोई लड़ाई वगैरह नही होने दी थी। इसलिए मै यह कहना चाहता हूं कि सरकार इन्तजाम कर सकती थी। सरकार ने पुलिस वालों के पास लाठियां है, अश्रुगैंस है लेकिन लाठियों औ अश्रुगैंस का प्रयोग कही नही किया गया। इन चीजो का प्रयोग उन नन्हे–नन्हे बच्चों का तितर–बितर किया जा सकता था परन्तु न तो अश्रुगैंस के गोले ही छोड़े और न ही लाठियां चलाई गई। मै ज्यादा जुडीशियल तहकीकात के झगड़े मे हनी जाना चाहता लेकिन जो कुछ भी हुआ है वह ठीक नही हुआ कि नन्हे–नन्हे बच्चों पर गोलियां चलाई गई।

मुझे यह खुशी है ओर जैसा कि विरोधी दल के नेता ने कहा है कि हरियाणा पुलिस के सिपाहियों ने गोलियां नही चलाई, मै उन भाईयो का कृतज्ञ हूं। उपाध्यक्ष महोदया, मै हिन्दुस्तान की सरकार का भी मश्कूर हूं जिन्होने हमारे प्रदेश के अन्दर गड़बड़ी को रोकने के लिए इन्तजाम किया। मै हिन्दुस्तान की सरकार से यह कहे बगैर भी नही रह सकता कि हरियाणा मे जो कुद हुआ है वह उनके लिए एक सबक है। मै हिन्दू सरकार से निवेदन करूगां कि जब इस प्रकार के इन्तजाम के लिए पुलिस को भेजे तो उनके साथ लाठियों और अश्रुगैंस ले जाने की हिदायत करे। पंडित जवाहर लाल, हमारे राष्ट्र नेता ने कहा था–– कि पुलिस से हथियार छीन लो इनके हाथ मे डंडा दे दों। मैने उसक समय

मजाक मे कहा था कि पंडित जी पंजाब की पुलिवस का नाम ऊंचा है कही पिट ना जाए। खेर मे इस बात के हक मे तो नही कि उनसे हथियार ले लिए जाए लेकिन जिस तरह से ये इस्तेमाल किए जाते है वैसा न किया जाए। जैसा कि विरोधी दल के सदस्यो ने कहा अगर उसमे सचाई है तो यह सरकार के लिए शर्म की बात हैं। और जिन्होने गोली चालई उन के लिए भी शर्म की बात है। वे बच्चे पाकिस्तान के बच्चे नही थे वे हरियाणा के बच्चे थे। हमारे यहां चाहे वह कामरेड रामकृष्ण की सरकार थी, चाहे वह प्रतापसिंह कैरों की सरकार थी वह ऐसे भाईयो के खानदान को मदद दिया करती थी और मै सरकार से अपील करता हूं कि समय बहुत ज्यादा नही हुआ हे। उनका अवश्य मदद दी जाए। सरकार के हित की बात थी और वह उसी को लेकर आगे आए थें। उपाध्यक्ष महोदया, मै यो कहता था कि मेरा इरादा हो गया है कि 30–32 साल के बाद,जेल काटने के बाद बहुत वक्त इस पार्टी मे व्यतीत करने के बाद खैर यह तो मजाक की बात थी–– अगर मेरा इरादा सरकार का पलटने का होता तो मै कभी का पलट देता। इसको कायम रखने मे मेरा हाथ रहा है इस बात को कोई माने या ना माने। मुझे किसी बात की घबराहट नही।

उपाध्यक्ष महोदया, आज मै बड़ी गम्भीरता और बहुत दुखभरे दिल से बोल रहा हूं। मै आपके द्वारा सब अपने दोस्तों से प्रार्थना करता चाहता हूं कि वे मेरी बात को ध्यान से सुने, उस पर मनन करें। उनकी पार्टी के अगर हित मे तो उसके ऊपर

विचार करें और अगर वह नही हो तो हिन्दुस्तान की कांग्रेस के नेता उस पर विचार करे। क्या काग्रेंस का तरीका अब यही रहेगा और क्या कांग्रेस की सरकार अब ऐसी ही चलेगी। इस पर गम्भीरता से विचार करे। इसका मुझे क्यों दुख है। उपाध्यक्ष महोदया, खान अब्दूल गफ्फार खां के सिवाए कांग्रेस के लिए आड़े वक्त मे किसी ने इतनी कुर्बानी नही की जिनती मैने की।चोट लगती है और आज मै इसका छोड़ेने की सोच ता हूं तो मुझे कितना दुख होता है। (सदस्य का दिल भर आया और आंसू आ गए।)

उपाध्यक्ष महोदया, मेरा दिल बड़ा मजबूत था लेकिन एक ऐक्सीडेंट ने जो कि मेरे जीवन मे आया उसकी वजह से मेरे दिमाग को चोट पहुंची है उससे दिल की चोट को अब मै सह नही सकता वरना बड़े से बड़े वक्त मे, कड़ी से कड़ी सजा के वक्त मे कभी दिल घबराता नही था। मैने कभी आसूं देखे नही। उपाध्यक्ष महोदया, कल मै इसलिए कहता था कि हर भाई इस तरह कहता है कि चंडीगढ़ का सी.पी.आई. मार्किसस्ट, और सी.पी.आई., डी.एम. के और अकाली दल की शक्ति की वजह से हिन्दूस्तान की कांग्रेस को कुछ दबाव मे आकर पंजाब को देना पड़ा। मै इस बात को नही मानता । कल जो मैने मजाक के तोर पर कहा था कि मै डी. एम.के. का तो मैम्बर बन नही सकता और अकाली दल का भी मैम्बर नही बन सकता, क्योकि हमारा उन से वैसे झगड़ा हैं। तो सी.पी. आई. मार्किसस्ट, सी.पी.आई. का तो मैम्बर बन सकता हूं।

मै बी.के.डी. का और चौधरी चरण सिंह और कुम्भाराम आर्य का बहुत शुक्रगुजार हूं जिन्होने हरियाणा के हक मे आवाज उठाई। उन लोगो ने हमको फाजिल्का और कुछ दूसरे गांव दिलाने के काफी मदद की इसके लिए मै उनका कृतज्ञ हूं।

(इस समय श्री अध्यक्ष पदासीन हुए।)

अध्यक्ष महोदय, मै यह कहता हू कि अगर सी.पी.आई. एम और सी.पी.आई. जैसे वे कहते है ओल्ड दिल्ली हरियाणा को दिला दे तो फिर वह चाहेगे तो मै काग्रेंस छोडकर सी.पी.आई. या अकेला मार्क्सवादी का मैम्बर बनने के लिए तैयार हो जाऊंगा, उसमे मै झिझक नही करूंगा। लेकिन आज मैने आपके सामने जो बाते कही, जिन पर मुझे बहुत रोष आया, वह तो बिल्कुल ऐसी बाते है जो प्रजातन्त्र के देश के इतिहास मे एक बड़ी भारी नई कहानी है। आपने फायदे और कानून के अन्दर रह कर अपने फैसले दिये हैं। अपनें इस काम के लियें, आप सदन के हाथ मे थें आपके पास और कोई चारा नही था। आपने जो कार्यवाही की, वह ठीक की। कल जो मैने किया इस तरह से, उन दोस्तो ं का दिल देखने के लिये किया जो मुझको नही चाहते थे। उसके साथ साथ अध्यक्ष महोदय, वह जो बाते मैने कही, इस बात का भी मेरे दिल पर बोझ था कि हमारी प्रदेश सरकार जिसके वजीर हों गुड़गांव के हिसान के या वह रोहतक जिले के लोगा हो तो बिजली देना बन्द कर दें। मेरे सवालो के जवाब मै अध्यक्ष महोदय,

यह काह गया कि बिजली रोहतक जिले के गावों मे नही दी जाएगी, इससे भी मुझे बहुत चोट पहुंची।

श्री के.एल. पोसवालः यह किसने कहा?

चौधरी रणबीर सिंहः आपने ही जबवा दिये है और यहा सदन मे दिये है आपको पढा दूंगा। स्पीकर साहब, मै इनसे चाहूंगा कि यह मेरा समय न बरबाद करे याह यह समय इनके समय मे से काट लिया जाये। अध्यक्ष महोदय, मुझको मालूम नही है कि दूसरे सदस्यों के साथ मे भी वैसा ही व्यवहार है या मेरे साथ इलहदा था। जब मैने देखा अध्यापकों का, चलो सही किया, अच्छा किया या बुरा किया, मै तो अच्दा नही मानता, क्योंकि मै तो उस सरकार का मंत्री रहा जिसने कहा था कि उनको दस मील के अन्दर अन्दर लगायेगें, इसलिए मै तो मानता नही कि जो इन्होने किया वह ठीक है, घर से दूर लगाने की इस सरकार की नीति है तो भी मुझे कष्ट हुआ।। सारे किलाई मे हल्के अन्दर जहां पर कि बारह हाई स्कूल हैं, हाई स्कूल है, हाई स्कूल के इम्तहान का एक जगह भी सेण्टर नही है। कल मुख्य मंत्री जी, की कृपा से एक जगह सैण्टर मन्जूर हुआ है, लेकिन उससे मेरे दिल को शान्ति नही हुई । मै सदस्यगण से कहुंगा कि वह जा रहे है, वह भी देखते जाये अपना खाता, कि कही उनके साथ भीएसी न बनी हो। अध्यक्ष महोदय, सड़क की बात हैं, सब अपनी अपनी बात कर रहे है, मेरा अपना गांव है, सड़क बनवाना मेरा भी काम रहा है। अध्यक्ष महोदय, इस सड़क के लिए उस वक्त रूपया जमा हुआ था

और वे एक फर्लांग की सड़क हैं। एक फर्लांग से भी कम है, पन्द्रह हजार कुल मालियत का खर्च है। बारह हजार रूपया जमा कर दिया गया है और साल भर तक रोड़ी नही, मिट्टी नही। अध्यक्ष महोदय, जिस सड़क की मैनेंी मंजूरी दे दी थी उसे क्योकि वह मेरे गावं की थी इस लिये शुरू नही किया गया, वरना जिस तरह से यहा होता है, वह सारे कारनामे करने वाले तो कभी मेरे पास भी थकं और इनसे कही ज्यादा शक्तिशाली मै ाि इ ससे ज्यादा मैने काम किया। अपने गांव मे मैने इसलिए नही किया कि लोग क्या कहेगें जब मै अपने ही गांव का काम करूंगा। अच्छा होता अगर हम इसे उसे वक्त कर जाते। अध्यक्ष महोदय, नहर का पानी बदरौ मे गिर जाता है। पमै अपने गांव की बात बताता हूं, 6 वर्ष हो गये मंत्रिमंडल छोड़े हुए, उस पाइप की दुरूस्ती नही होती हैं, डेढ वर्ष तो मुझे सदन का मैम्बर बने हूए हो गये है जिसमे बहिन चन्द्रावती जी मेरे करीब आ गई और वह कहती थी कि मुझको नही जाने देगी। तो क्या करूं जिन्होने मुझे भेजा है अगर उनके सामने यह सरकार यह साबित करना चाहिै कि मै नाअहल हूं या उनका नुक्सान हो, तो मेरा क्या फर्ज हैं? अध्यक्ष महोदय, चूंकि आज समय बहुत थोड़ा है, मै चाहता हूं कि समय बहुत मिलना चाहियें। ऐसे बिल के ऊपर तो पता नही कितने घण्टे समय मिलता है। लेकिन यहां की प्रथा है, मुझको कहना कुछ और था, मेरे दिल का जो गुबार था, उसमे मै कहन हनी सका और यह सारी बाते मेरे दिमाग पर एक बोझ था। मै उन दोस्तो के दिल को जानना चाहता था कि मै उनके दिलों को जीत पाया हूं कि

नही जोकि मुझको हराना चाहते थें। जो चीफ मिन्नीस्टर बनने के रास्ते मे रोड़े थे, उनके दिल को मै जीन भी सका हू या नही। मेरे दोस्त, जिन्होने उनका बनवाया है, उनके दिल खुश है कि नही, उनके जानने के लिए वह ड्रामा मैने किया। उसके लिये मै कभी माफी नही मागूंगा। महामन्त्री जी से अपील नही करूंगा, कोई कार्यवाही करनी हो तो छूट देता हूं।

श्री बनारसी दास गुप्ता(भिवानी): अध्यक्ष महोदय, अभी विरोधी दल के नेता कुछ अपने हृदय के उद्गाार यहां प्रकट करने के पश्चात अपने दल के साथ वाक आउट कर गय। अध्यक्ष महोदय, विरोधी दल के नेता राव साहब ने दो–चार बार खड़े होकर डैमोक्रेसी का जिक्र किया और कहा कि मै बड़े भारी दिल से यह महसूस करता हूं कि हरियाणा मे प्रजातन्त्र का गला घोंटा जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, मै चाहता था कि इस समय राव साहब मेरे सामने बैठे होते, तो मै उनका बतलाता कि डेमौक्रेसी का गला हरियाणा मे इस सरकार ने घोंटा है या राव साहब ने हरियाण मे प्रजातन्त्र का गला दबाया था। स्पीकर साहब, आपके सामने इस सदन की कार्यवाही 13 तारीख चल रही है। आज 15 दिन होते है। यही राव साहब थें जब विरोधी दले की संयुक्त सरकार चल रही है। वह नेता थें, मुख्य मंत्री थें। स्पीकर साहब,डेढ दिन मे बजट पास करके यहा से भाग गये। आज 15 दिन तक बड़े खुले रूप से सदन की कार्यवाही चलाने वालो को यह डैमोक्रेसी का गला घोंटने वाला बतलाते है। खुद अपने गिरेबान मे मुंह डालकर

नही देखते कि किस प्रकार उन्होने यहा जमहूरियत का खून इसी सदन मे किया था और उनके ही नेतृत्व मे हुआ था। स्पीकर साहब, समय बहुत कम हैं, मै बहुत डिटेल मे नही जाना चाहता हूं। एक उदाहरण आपको और देना चाहता हूं कि जो राव साहब विरोधी दल के नेता, इस सदन मे जमहूरियत की बात करते है, प्रजातन्त्र की बात करते है मै स्पकीकर साहब, यह दावे के साथ कहता हूं कि न केवल हरियाणा के प्रतातन्त्र पर बल्कि सारे हिन्दूस्तान की प्रजातंत्र के माथे पर कलंक लगाने वाला कोई है तो यह राव साहब है। वह दूसरो को किसा प्रकार से कहते हैं? स्पीकर साहब, 1967 मे इलेक्शन के बाद जो दल बदल की बीमारियां चली, उसेन हिन्दूस्तान की डैमोक्रेसी का तमाम दुनियों के अन्दर बदनाम किया। स्पीकर साहब, वह दल–बदल का इतिहास तब से हैं, आप उनक दिनो फौज में थें लेकिन मै जानता हूं कि आप अखबार पढते थे और आपने पढा होगा कि वह दल–बदल की बीमारी प्रजातंत्र के मस्तक के ऊपर एक बड़ा भारी कलंक है। यह बीमारी, यह इतिहास हरियाणा से शुरू हुआ और उसके शुरू करने वाले इस डिफैक्शन के जन्मदाता राव बीरेन्द्र सिंह थे, जो आज जमहूरियत की बात करते है। ओर यह कहते है कि यह सरकार जमहूरियत का गला घोंट रही है। स्पीकर साहब, मुझे लज्जा आती है कि जब विरोधी दल के नेता जा एक बहुत जिम्मेदार व्यक्ति है, वह इस पवित्र सदन के अन्दर झूठ बोले और यहा सदन मे कहते है कि हमारे मेम्बरो का रातभर सोने नही दिया। स्पीकर साहब, आप खुद इस बात को रियलाईज करते है

कि जब से सदन चला है, हमारे दल के 47 वोट इस सदन मे है और 31 विरोधी दल के है। 16 वोट के बहुमत से हम इस सदन मे शासन कर रहे है। तो स्पीकर साहब, आप खुद महसूस किजिये कि हम को क्या जरूरत है कि इतने मेम्बरों का बहुमत होते हूएं भी हम रातभर उनके मेम्बरों के पिछे चक्कर लगाते रहे। सच्चाई यह है, स्पीकर साहब, कि विरोधी दल के नेता यहा है नही, मै उन से पूछता कि वे खुद अपने साथियों के साथ रातभर कांग्रेस पार्टी के मेम्बरों के दरवाजे पर भटकते रहे माथा रगड़ते रहे कि हमारे साथ आ जाऔं। हमारे बुजूर्ग नेता, चोधरी रणबीर सिंह जी, उनका मै सम्मान करता हूं को अपने साथ ले जाकर कहने लगे कि चौधरी साहब, तुम हमारे साथ आ जाओ, अब हम इस सरकार का उलट देगें। स्पीकर साहब, राव बीरेन्द्र सिंह ाअेर उनके साथी बहिन शारदा जी के पास भी गये और प्रार्थना की, माथा रगड़ा कि मेरे जिले की हो, मेरे साथ आओ, क्या मै अर्ज करूं रात भर होस्टल मे, एम.एल.ए. फ्लैट मे जो कुछ ड्रामा हुआ, उसका सीन किस तरह से चलता रहा, जिसे चौधरी रणबीर सिंह जी सिर्फ एक ड्रामा कहते हैं, वह सीन देखने की बात थी। स्पीकर साहब, मै आपको स्पष्ट बताना चाहता हूं कि हमारी पार्टी ने प्रजातंत्र के जो तकाजे है, प्रजातंत्र के जो आर्दश है, उनको पूरी तरह से निभाया हैं, यह लोग अविश्वास प्रस्ताव की बात करते हैं, आपके सामने उन्होने 13 तारीख को अविश्वास प्रस्ताव रखा और उस प्रस्ताव को यहां मूव करने की इनकी कोई हिम्मत नही पड़ी और 14 तारीख को ही उन्होने अपना प्रस्ताव विदड्रा कर लिया।

स्पीकर साहब, राज्यपाल महोदय ने अभिभाषण पर भी बहुत बहस हुई, मतदान हुआ, सरकार की नुक्ताचीनी करने का मौाक भी उन्हे मिला। उसके बाद बजट पर बहुत बहस हुई, उस बहस पर मुझे बोलने का मौका नही मिला, अध्यक्ष महोदय, मै बजट पर बोलता तो बतलाता कि विरोधी दल के नेता ने इस बजट के ऊपर एक शब्द भी नही कहा। स्पीकर साहब, हरियाणा मे एक मिसाल है कि––

''अवसर चूकि डूमनी

गाए आल बताल''

राव साहब और विरोधी दल वाले अवसर चूक गये, कई मौका उनके हाथ नही लगा और अब वह आल बताल इस सदन के अन्दर गाते हैं। राव साहब, एक बार मुख्य मंत्री जी, के आसन पर बैठ चुके हैं तो इसलिये उनको कुर्सी का चस्का लगा हुआ है। आजकल एक और भी मिसाल हो चुकी है। स्पीकर साहब, कि ''बावले कुते के काटे का इलाज तो हो सकता है लेकिन कुर्सी के काटे का कोई इलाज नही है।'' राव साहब को कुर्सी ने काटा है, उसका इलाज न हमारे पास है, न ही इस सदन के पास है।

(इस समय सभापतियें की सूची मे से एक सदस्य श्री रामसरन चन्द मितल पदासीन हुए।)

चेयरमैन साहब, मै अधिक समय नही लेना चाहता क्योकि मेरे भाईयों ने एप्रोप्रिएशन बिल पर बोलना है, जो सरकार

ने डिवैल्पमैंट की है, जो काम कर रही है, उस पर बोलना है, इसलिये मै अधिक समय न लेता हुआ दो शब्द अपने बुजुर्ग, जिनका मै सम्मान करता हूं के बारे मे कहना चाहता हूं। चौधरी रणबीर सिंह जी ने जो इस सदन मे कहा है, उस पर कहना चाहता हूं। मेरे हृदय मे उनके प्रति बड़ा सम्मान है, रहा है औरप रहेगा। वह पार्टी मे रहे यदि वह पार्टी मे न रहे तो हमारा दुर्भाग्य होगा लेकिन यदि वह पार्टी छोड़ भी गये तब भी उनका सम्मान हमारे हृदय मे वैसा ही बना रहेगा। मै मानता हूं कि इस बात को कि वह बड़े पुराने, उच्च राजनीजिज्ञ है, देश की आबादी हासिल करने के लिये उनकी बहुत कुर्बानियां हैं, हमारी पार्टी के लिये वह हमारे साथ रहेगे, मै तो यह हृदय से चाहूंगा लेकिन हमारी हार्दिक इच्छा है कि अगर आपस की कोई बात कोई रंज की की, और कोई मन मुटाव की बात है त ो वह आपस मे बैठकर भी दूर की जा सकती है। हम से या दल के किसी व्यक्ति से कोई ऐसी बात हुई हों, जिससे उनके हृदय को ठेस पंहुची हो,तो हम को उन से क्षमा मांगले मे हिचक नही होनी चाहिये।

चेयरमैन साहब, चौधरी साहब ने कहा कि रात को जो कुद हुआ, वह केवल ड्रामा था, अगर वह ड्रामा था तो बहुत ही अच्छी बात है, मै भी यही चाहूंगा इस तरह की बाते ड्रामा ही बन कर रह जाये।

चेयरमैन साहब, मै इन शब्दो के साथ, इस सदने के सामने यह निवेदन करता हूं कि यहा जो कुछ हुआ वह प्रजातंत्र

के अनुकूल हुआ। प्रजातंत्र के आर्दश को सामने रखकर हुआ कोठ इस प्रकार की कार्यवाही इस सदन मे नही हुई जो प्रजातंत्र के खिलाफ हुआ और कोई इस प्रकार की कार्यवाही इस सदन मे नही हुई हो तो प्रजातंत्र के खिलाफ हो। इन शबछो के साथ मै क्षमा चाहूंगा।

खान अबदूल गफ्फार खां (नांगल): जनाब चेयरमैन साहब, आज की कार्यवाही को देखकर दिल को बहुत अफसोस हुआ बल्कि रंज और सदम भी हुआ। इस हाउस मे काफी बातें इधर उधर की आती है और जाती है, हमारे अपोजीशन वाले साहेबान ने जो कुछ किया वह एक रोज की बात होती तो मान लेते लेकिन उनका तो सिलसिला और हैं, वह यूंही वक्त खत्म करना चाहते हैं ताकि मेम्बरों को बाहर जाने की इजाजत मिलें। अभी अभी चौधरी रणबीर सिंह जी ने जिनकी दोस्ती और हमदर्दी पर मै भरोसा करता हूं और किया, उन्होने जो कुछ फरमाया मै उनका निहायत शुक्रिया अदा करता हूं। जिस बात ये चौधरी रणबीर सिंह जी को ड्रामें का एक्टर बनना पड़ा मेरा ख्याल है कि सरकार को इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए।

(इस समय उपाध्यक्षा पदासीन हुई)

मोहतरमा, मै अभीप अर्ज कर रहा था कि अपोजीशन का तो रवैया ही अजीब हो गया है। डैमोक्रेसी मे यह तो होता है कि जो सरकार की कमियां हो और खामिया या कोताहियां जो भी

सामने आती हों, उनको जनता के सामने अपोजीशन के मैम्बरज जाहिर करे। यही नही, बल्कि हमारी ट्रेजरी बैन्चिज के साथियों का भी यही फर्ज हो जाता है कि अगर वह सरकार की कोई कमजोरी दिखे तो बड़ी जिम्मेदारी से सरकार के नोटिस मे वह कमजोरी लाए। अगर अच्छी नीयत से कमजोरी सरकार के नोटिस मे लाई गई, तो मुझे उम्मीद है कि सरकार उस पर तवज्जो देगी। लेकिन हकीकत तो यह है कि यह अपोजीशन के दोस्त बस क्रिटिसीजम के लिये ही बाते करते है और खासतौर से जनता को भुलावे मे डालने के लिए तरह की बाते करते है। यह इन्हे नही करनी चाहियें।

चौधरी रणबीर सिंह साहब ने एक बात चौधरी रिजक राम के बारे मे कही, मै ज्यादा तो कुछ नही कहना चाहता वह जब वजीरेआला बनने मे हार गये तो इन्होने सब ने मिलकर उनको कौंसिल आफ स्टेट्स मे भेज दिया। चौधरी साहब, मुझे माफ करेगे, मुझे एक बात याद आ गई। किसी भी अपने साथी को बेशक वह मुखलिफ पार्टी मे हो, उसकी जानी या माली नुक्सान पहुंचाना यह बुरी बात है। लेकिन अगर कोई खुदबखुद हरडल निकल जाए तो खुशी की बात होती है। मै समझता हूं कि चौधरी रिजक राम जो इनके रास्ते मे एक हरडल थे वह निकल गये तो इनको खुशी होनी चाहिए। जनाब, डिप्टी स्पीकर साहिबा, मुझे एक कहानी याद आ गई। विलायत मे शिकार करने या तरीका कुछ अजीब है, वहां कोई खुले मैदान तो ज्यादा होते नही, इस लिये

वह कुतों के साथ शिकार किया करते थे और यही कोई लोमड़ी वगैरह मार दिया करते थे। एक बार जब शिकारी जब कुतो के साथ शिकार कने जा रहे थे तो एक लोमडी़ फस गई, वह जान के जाने के खौफ से इनती तेजी से भागी कि कुतो को भी पीछे छोड़ गई और उसने देखा कि पास मे जमींदार का कोठा बना हुआ है, तो उसने वहा जाकर जमींदार से कहा खुदा के वास्ते मेरी जान बचाओ, शिकारी कुते मेरे पीछे लगे है, उस जमींदार ने कोठे के अन्दर इशारा कर दिया और इशारा पाकर लोमडी़ उसके अन्दर चली गई। शिकारी पीछे से जब आये तो उन्होने जमींदार से पूछा कि क्या कोई लोमड़ी इधर से गई है। जिमींदार ने सोचा कि क्या जवाब दूं, अगर इनको पता चल गया कि लोमड़ी अन्दर है, और मैने गल त कह दिया तो मेरी मुसीबत आ जाएगी। इस लिये उसने ऐसे ढंग से कहा कि छी–छी– छी–छी और उंगली कोठे की तरफ कर दी। लेकिन इस इशारे से शिकारी यह समझे कि लोमड़ी जिधर कोठा बना था, उधर की तरफ से गुजर कर चली गई है, तो वह उस तरफ से बाहर चले गयें। जब घोड़ो की ठापे और कुता का भौंकना बन्द हुआ तो लोमडी़ कमरे सक बाहर निकल आई और भागने लगी तो किसान बोला '' भई अच्छी बात है, मैने तुम्हाी जान बचाई और बगैर शुक्रिया अदा किये ही चलने लगी तो लोमड़ी ने भी छी–छी– छी–छी कर दिया और इस तरह जतला दिा कि मेरी किस्मत थी जो मै बच गई, आप ने कसर नही छोड़ी थी। मोहतरमा चौधरी रिजक राम के जाने पर खुश तो यह भी हुए होगे क्योकि वइ इनके रास्ते मे एक हरडल थें। जहां तक

खुशी की बात है, खुश तो मै भी हुआ था ओर इसलिये अगर वगैर जहर के ही कोई मर जाए तो फिर जहर ही क्यों दिया जाए। बहरहाल उन्हे कौंसिल मे भेज दिया गया , इस मे कोई शुबह नही है। जहां तक कमियों होती है ओर खामियों होती है, ठीक है कि तवज्जोह दिलाई जाए मगर चौधरी साहब ने तवज्जोह दिलाने मैं बड़ा एक्ट्रीम हिस्सा लिया, हालांकि उनकी कोई नियत ऐसी नही है कि वह कोई खास बात करे। महज सुधार करना उन्हे मकबूल है। वह सुधार करना चाहते है क्योकि उन्हे मुझ से भी ज्यादा तजुरबा है, पार्लियामैंन्टेरियन ते तोर पर, क्योकि वह पार्लियामैंट के मेम्बर रहे है और वजीर भी रहे है काफी अरसे तक एम.एल.ए के तोर पर वह खिदमीत करते रहे है। मै तो सिर्फ पांच चार महीने के लिये ही मिनिस्टर बना था और वह भी इन्होने वकफ का महकमा दिया था जो सैन्ट्रल गवर्नमैंट के अधीन होता हैं तो मै उस मे कोई खास कन्ट्रीब्यूशन नही कर सका। बहरहाल जहां तक सरकार की कमियों का ताल्लुक है, वह मोहतरमा मै कहना चाहूंगा कि आज भी पुलिस मे रिश्वत चलती है और जब पुलिस के पास कोई मामला जाता है तो रिश्वत की वजह से केस की नोईयत बदल जाती है और मामला उल्ट जाता है, दिगर गूं हो जाता है। मै जनाब इन से पुछना चाहता हूं कि यह बतोए कि इनका कोई ऐसा महकमा है, जिस मे रिश्वत न चलती हों। और तो ओर बिजली के कनैकशन देने मे लोगो के बावजूद पैसे दाखिल करने के, उनको कनैकशन तब मिलते है, जबकि नीये के आदमियो के जेबो मे पैसे चले जाते है और अगर

पैसे न मिले तो कनैक्शन नही दिया जाता। चाहियें तो यह था कि रिश्वत का कम किया जाता और मिनिस्टर साहब केसिज पर गौर करते लेकिन मिनिस्टर साहेबान आप मजबूर है तो कुछ भी महकमे के आदकियो ने लिख कर भेज दिया उसी के पेशेन्जर यह फैसला कर देते है और फाईल का जवाब भी उसी तरह से दे देते है, जैसे कि नीचे से लिख कर आता है। यह ठीक है कि रिश्वत पूरी तरह से बन्द नही हो सकती, लेकिन जब यह गवर्नमैंट मे है तो इनकी कोशिश होनी चाहिये कि कुछ न कुछ खुदा के वास्ते कम तो करों। अगर हटा नही सकते, तो इस रिश्वतखोरी को आप कम करने ककी कोशिश किजिये। एक जमींदार के साथ, दुकानदार के साथ, एक मजदूर के साथ, इन्साफ तो किया जाए। उन बेचारो को इसलिये नाकामयाबी होती है, क्योकि उस गरीब के पास पैसा नही होता रिश्वत देने के लिया। इसलिये वह तकलीफ मे रहता है।

आप नहरो मे जाईये, बिजली और सडकों मे जाइये सब मे यही हाल है। सड़को मे तो एक अजीब तमाशा है और बन्द लगाने, ड्रेन निकालने मे जो होता है उसे मै क्या ब्यान करूं। आज एक नक्शा बनता है कि फलां रास्ते से सड़क जायेगी लेकिन जिस के खेत मे से होकर जानी है उसने जरा मुठी गरम ही तो उसका खेत छोड़कर वह सड़क फिर यू घूम कर जायेगी और सारी एलाइनमैंट बदल जायेगी। यह भी क्या अंधेर है। पहले देख लो, सोच समझ कर नक्शा बनाऔ और लोगो से पूछ कर उनसे सारी सलाह करके नेचूरल फलो देखकर बंद लगाऔं और ड्रेन बनाऔ

लेकिन ऐसा नही करेगें। जब कोई बात होती है तो कहते है कि साहब एक्सपर्ट जो हुये इस लिये उनके खिलाफ क्या करें। मै आपको बताता हूं कि यह कैसे एकस्पर्ट है इनके इंजीनियर और दूसरे लोग। डिप्टी स्पीकर साहिबा, आपने भी मुलाहजा फरमाया होगा कि 1952 से पहले और 1952 के कुछ अरसा बाद भी जब सुबह शाम शिमला जाते आते थे तो कालका के आगे एक बावडी़ आती थी। वहां पर देखा जाता था कि उस पर इतनी भीड़ लोगो की और रेढियो की होती थी कि सड़क रूक जाती थी और रास्ता नही मिलता था। लोग कालका से वहां पानी लेने जाते थें। इस तक्लीफ से पेशेन्जर वहां कालका के लोगो ने इस बात की कोंशिश की कि कही से पानी लगा लिया कि अगर फलों जगह खोदा जाये तो पानी निकल सकता है। खैर मैने वह मामला उस वक्त के फायनैंस मिनिस्टार सरदार बहादूर उज्जल सिंह के सामने पेश किया और उन से कहा कि अगर चार हजार रूपया कही से उन लोगो का टरायल बोरिंग के लिए दे दो, तो हम खुदवाई करवा कार देख ले, अगर पानी मिल जाये। चीफ मिनिस्टर साहब के पास गया तो उन्होने कहा कि पहले इंजीनियरो से बात करता हूं उसके बाद देखूगा। खैर साहब, उन्होने इंजीनियरो से बात करके यह बाताया कि वहा पर तो पानी का नामोनिशान ही नही है, इस लिये वह यह रकम मन्जूर नही करते। बात आई गई हो गई। लोगो ने खुद चंदा इकट्ठा करके चार हजार रूपया पैदा कर लिया और वहां पर खुदाई की। आप आज वहां जाकर देख ले उस जगह जहां इनके एकस्पर्ट कहते थे कि पानी का नामोनिशान

नही है नलके लगे हुए है और मकानों की दूसरी मंजिल तक पानी जा रहा है। फिरप एक और बात सून लां। कालका शिमला रेलवे के लिये अंग्रेज कोशिश कर रहे थे कि उसके लिये कही से रास्ता मिल जाये लेकिन कही पता नही चलता था। तो उस वक्त वहां पर पहाड़ी जमींदार ने कहा कि आऔ मै आपको रास्ता बताता हूं औरप उसने रास्ता बता दिया और यह बड़े बड़े इंजीनियर और एकस्पर्ट मुह ताकते रह गये। मै अर्ज करता हूं कि यह पूछ ते ही नही है मौका पर लोगो से और कहते है कि साहब हम ही एक्सपर्ट है लोगो को क्या आता है। मेरे हल्का मे एक गांव है उससे इस तरफ भाखड़ा नहर नरवाना की तरफ जाती है। पहले वहां कोई रोक नही थी, लेकिन अब नहर बन गई है तो पानी का नैचुरल फलो रूक जाने से वहां पानी खड़ा होता है ओर फल्ड आता है। चूंकि पानी के लिये आगे रास्ता नही है इसलिये फल्ड वापस आ कर गांव मे पड़ जाता है और देहात को नुकसान पहुंचता हैं। हमने डी.सी. को साथ लिया होना चाहिय लेकिन एकस्पर्ट साहबान कहने लगे कि ऐसा नही हो सकता मै कहता हूं कि नैचूरल फलों पूछो वहां के लोकल जमींदारों से, जिन्हे अपने बाप दादा के वक्त से पता है कि पानी कहां काट करता है, लेकिन यह तो बुक नालिज लेकर चले जाते है और लोगो की एक नही सुनते। इसलिये मै मिनिस्टर साहबान से अर्ज करना चाहता हूं कि आप इन बातों को रोके ओर अगर नही रोकेगे तो इस का मतलब है कि लोगां को तकलीफ पहुंचेगी, लोगो मे इतमिनान नही होगा और बेइतमिनान से लोग, परेशान हो जाते है।

अब मै थोड़ा सा अपने जिले के बारे मे अर्ज करके खत्म करता हूं। मुहतरिमा डिप्टी स्पीकर साहिबा, मेर जिला एक किनोरे पर हैं। अम्बाला से इधर पंजाब है और उधर हरियाणा शुरू हो तो है। हमारी बदकिस्मती यह है कि न तो जब पंजाब सांझा था, उस वक्त जिला अम्बाला की तरफ कोई तवज्जुह दी गई और न ही अब जब हरियाणा बन गया है कोई जवज्जह दी जा रही हे। पहले दोनो मिल कर हमारा हिस्सा खाते रहे, लेकिन अब एक के हिस्सा मे ही खाना आ गया (हंसी) आज से नही और 70 साल से नही तो कम से कम 50 साल से यह बिजली पानी और सड़को वगैरह का महकमा लगातार हरियाणा वालो के पास चला आ रहा है और तमाम हरियाणा के मिनिस्टर रहे है बीच मे जरा राड़ेवाला साहब आ गये थे, नही तो यह तमाम अरसा इनके पास ही यह महकमें रहें। लेकिन इन्होने जिला अम्बाला की न सड़को के बारे मे न बिजली पानी के बारे मे और न ट्यूबवेल के बारे मे परवाह की । आप करनाल जाओं, रोहतक जाओ या गुड़गांव, हिसार जाओ तमाम जगह नहरे, सड़के, ट्यूबवैल बिजली की तारे नजर आयेगी। करनाल ता कर देखलो। कोई सड़क इधर से आ रही है कोर्ठ उधर से आ रही है पता ही नही लगता कहां कहां कौन सी सड़क जा रही है। तो मै इन वजीर साहबान से इज्तमास ही करना चाहता हूं वैसे तो हम बड़े सबर करने वाले है लेकिन हमे आप मजबूर न करों क्योकि एक वकत वह भी आ जाता है जब सबर का पैमाना लबरेज हो जाता है और छलक जात है। हम तो अब लास्ट स्ट्रा आन दी कैमलज बैक वाली बात तक

पहुंच चुके है। कही ऐसा न हो कि हम मजबूर होकर आपके सामने खड़े हो कर कहे कि आप ऐसे है आप वैसे है आप यह है वह है। मेहरबानी करके आप मेरे जिले की तरफ तवज्जूह दो और हमारी जो तकलीफ है उनका दूर करों। बिजली के बारे मे, मैने पार्टी मीटिंग मे भी बात की थी तो गौड़ साहब ने फरमाया कि कल हाउस मे बात दूंगा और बताया यह कि 41 फीसदी हैं। मै कहता हूं कि यह 41 फीसदी तो आज है लेकिन पहले हमारी वह कमी तो पूरी करेा जो आज तक हमें नही मिला है। उस कमी को पूरा करने के बाद फिर अगर 41 फीसदी दोगे तब हमे एतराज नही होगा। पहले जो हमारे पिछले फाके चले आ रहे हैं उनको दूर करो उसके बाद देखेगे कि 41 फिसदी है या कितना है। पहले वाली कमी को न देख कर अगर आज एक आध रोअी दे देते हो और टुकड़ा हो तो उससे हमारा काम नही चलता हे। पहले हमारी पिछली कमी को पूरा करो और उसके बाद जो दूसरो को दे रहे हो उसके बराबर हमे भी दे दो।

डिप्टी स्पीकर साहिबा, ये कहते है कि साहब, हमने तो बड़े ट्यूबवैल लगा दिए है। आप जरा जमींदारो से जाकर तो पूछिए, वे कहते है कि हमारे यहा पानी नही मिलता। जहां कही थोड़ा बहुत मिलता भी है वहां पानी के रेट्स इतने ज्यादा है कि जमींदार अफोर्ड नही कर सकता और वह पानी का फायदा नही उठा सकता। अगर जमींदार किसी दूसरी जगह ट्यूबवैल लगवाना चाहे तो कहते है कि इनता हिस्सा गवर्नमैंट देगी और इतना

हिस्सा जमींदार देगा। बेचारे गरीब जमींदारो के पास इतना पैसा होता ही कहां है जो ट्यूबवैल लगवाने पर खर्च कर सके। लिहाजा वे बेचारे ट्यूबवैल नही लगवा सकते और अपनी पैदावार नही बढा सकते। मै अपनी कांस्टीच्यूंऐसी के इलावा थोड़ा से सारे अम्बाला जिले के लिए जनाब की मारफत सदन से अर्ज करना चाहता हूं.. . . . .

उपाध्यक्षाः खान साहब, मै एक अनाउसंमैंट करना चाहती हूं अगर आपने तीन चार मिनट और बोलना है तो मै एक रूलिंग देना चाहती हूं।

खान अब्दूल गफ्फार खानः अगर आप इजाजत देगी तो मै तीन चार मिन्ट और बोलूंगा।

उपाध्यक्षाः तो पहले रूलिंग दे देती हूं।

RULING GIVEN BY THE DEPUTY SPEAKER

Deputy Speaker: Hon. Member: Today, at about 3.30 P.M. the Hon. Speaker was handed over in the House the notice of resolution for the removal of the Speaker under Rule 11 of the Rules of Procedure and conduct of business in the Vidhan Sabha.

According to rule 74, every notice required by the Rules shall be given in writing addressed to the Secretary and shall be delivered at the Assembly Office between 10 A.M. and 3 P.M. If it is delivered at any later time it shall be treated as delivered on the next day. Thus, it will be quite cvlear that the

manner of tabling this notice was against the sprit of Rule 74. According to this rule, this notice could only be taken up for teh next day. As you are all awarre the House has already decided to adjoun sine-die at its reising today. So far all intents and purposes the notice was not in order. Moreover, the conference of Presiding Officers held at Delhi in April, 1968 has aslo passed a Resolution as under:-

"It appeals to all Members of Legislatures and more prticularly to all the Political Parties to ensure that due respect and Co-Operation are extended to the Presiding Officers and notices of removal of Presiding Officers from office are not tabled without due deliberation and adeqate grounds."

In view of teh above, I earnestly feel that this was most unfortunate and I, therefore, order all teh references to the tabling of the notice be expunged from the proceedigns of the House.

खान अब्दूल गफ्फार खानः मोहतरिमा डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैने अम्बाला जिले के लिए बाते कीं, मै इस बात के हक मे नही हूं कि सिर्फ अपनी कांस्टीच्यूएंसी के हक मे ही बाते की जाये। मै तो सारे जिले के बारे मे कहना चाहता हूं। गवर्नमैंट ने कोई ऐसी बात नही की जिस पर हमारी कैबिनैंट फखर कर सके। बजट स्पीचव मे फाइनैंस मिनिस्टर ने फरमाया है कि हम ने अम्बाला मे मुगी फार्म खोला है। मुर्गी फार्म खोल कर इन्होने क्या तीर मारा है?

श्रीमती ओम प्रभी जैंनः मुर्गी फार्म के इलावा एक मिल्क प्लांट भी लगाया हे।

खान अब्दूल गफ्फार खानः दोनो ही सही। इस पर क्या फखर कर रहे है। मुर्गियां हम पाले और अण्डे मिनिस्टर खायें और मुर्गियां भी अफसर खाए। अब मै थोड़ा सा अपनी कांस्टीच्यूएंसी के मुताल्लिक अर्ज करना चाहता हूं। मोहतरिमा डिप्टी स्पीकर साहिबा, आप भी कांस्टीच्यूंएसी से आये है। आप को पता होगा कि वहां पर कितने ट्यूबवैल लगे है, कितनी बिजली वहां पहुंची है ओर आबपाशी के क्या काम हुए है?

उपाध्यक्षाः सिर्फ एक सरकारी ट्यूबवैल हैं।

श्रीमती ओम प्रभी जैंनः ड्रिंकिंग वाटर का है या दूसरा?

उपाध्यक्षाः जमींदारो के लिए गवर्नमैंट का एक ही टयूबवैल है।

एक आवाजः नारायणगढ़ मे लगें हुए है। . . . .

खान अब्दूल गफ्फार खानः नारायणगढ़ मे वहां लगे हुए हैं जहां पर पत्थर नही थे, सब जगह तो आपने नही लगाये। नारायणगढ़ मे तो यह हालत होती थी मि पीने का पानी नही मिलता था। अगर वहां लगा भी दि तो कौन सी बहादूरी कर दी

है। यह फखर करने वाली बात नही है।(व्यवधान) जहां ट्यूबवैल लगे है उनकी ता पहले वजीरों ने ताईद और ताकीद की हूई थी आपने कुछ नही किया। इसलिए माहेतरिमा डिप्टी स्पकीर साहिबा, मै आपकी विसातत से गवर्नमैंट से अर्ज करना चाहता हूं कि खुदा के वास्ते अम्बाला जिले को ज्यादा ट्यूबवैलन दिये जाए और उसको खुशहाल बनाने के लिए कोशिश करें। मै एक बात कह कर खत्म करता हूं। एक बार मै चौधरी रिजक राम को अपने इलाके मे ले गया था कि हमारे यहां फलां जगह पानी नही है, फला जगह बिजली नही है ओर मान गये थे कि वाकई पानी बिजली की तंगी है। मैने उनसे कहा कि जनाब आप जमींदार तबके का जरा मुलाहजा फरमाए। खुदा के फजल से मेरे जिले के जमींदारो के पास काफी जमीन हे। आम तौर पर ऐसी भी जमींदार है जिन के पास जमीन थोडी़ है लेकिन औस्तन दूसरे इलाकें के जमींदारों से ज्यादा जमीन है। जहां हम बैठे हुए थे वहां कुछ अफसर साहिबान और कुछ जमींदार साहिबान बैठे थे। मैने उन से कहा कि आप इन दोनेा का मुआजाना मुकाबला कर लीजिए। जमींदारेा के चेहरे पर देखेा, खून का निशान नजर नही आता और दूसरी तरफ अगर अुसरान के मुह पर गाची मार दे तो खून की बाढ नजर आएगी क्योकि इन की गाले कचौरी की तरह फुली हुई हैं। इसलिए मेरी गुजारिश है कि किसानो की हालत बहुत खराब है, न उन्हे मानी की सूहलियत है और न ही बिजली की है, सड़के भी नही है, नहरे भी नही है। नहरो का किस्सा भी सुन लीजिए। हमने कोशिश की कि किसी तरह से हमारे अम्बाला मे कोई नहर ही आ जाए

लेकिन उस वक्त के जो चीफ इंजीनियार थें उन्हे कुछ हमारे साथि हमदर्दी हो गई और उन्होने कहा कि मेरा नाम ता मत लेने मै एक बात आपको बता देता हूं। है तो छोटी सी बात, लेकिन उससे अम्बाला शहर को, जिस मे पानी नही मिलता, अम्बाला छावनी को और आस पास के जमींदारो का पानी मिल जाएगा। उन्होने कहा कि होरिजैन्टल ट्यूबवैल जो लगत है वे येां ही खाली रहते है। यहा तो एक ऐसा बड़ा टयूबवैल है, जो अमेरिका के सिवाए दुनियां मे कही नही है, अगर लगे तो काम चल सकता है। हम ऐसी ट्यूबवैल घग्गर के बेट मे अम्बाला के पास लगाना चाहते है। मगर खान साहब हम को 16 हजार रूपए तजुरबे के तौर पर दिलवा दीजिए क्योकि यहा पहले इस तरह का टयूबवैल बना नही है। हम उस पर अमल करके देखेगे। सब की खुशामद हम करते फिरे। ये मिनिस्टर साहबान तो, माहेतरिमा डिप्टी स्पकीर साहिबा, खुशामद कराने मे लगे रहते है। मैने सरदार उज्जवल सिंह से रिक्वैसअ की कि साहब अम्बाला जिले मे इस तरह का ट्यूबवैल बनाने के लिए 16 हजार रूपए तजुरूके के तौर पर सैक्शन कर दे तो अम्बाला शहर, अम्बाला छावनी, आस पास के खेतो और पांय चार गांवो को पानी मिल सकता है मगर वे पूछने लगे कि कोई इंजीनियर भी कहता है? अब आप बातईए कि मै कौन इंजीनियर कहता? मैने तो सिर्फ यही कहा कि अगर आप 16 हजार रूपया किसी इंजीनियर या चीफ इंजीनियर के सुपुर्द कर दे तो टयूबवैल बन जाएगा। मगर वे क्यो देते, क्योकि अम्बाला की तरफ किसी की तवज्जुह हे ही नही।

आप मुलाहिजा फरमाये कि कितने अफसर आज अम्बाला जिले के आप के हरियाणा मे हैं? हमारे पुलिस मे यां और दूसरे महकमों मे कितने अफसर है? आप अन्दाजा लगा कर कह दिजिए और अगर नही है, हमारे आदमियों की कमी है तो उसको पूरा करों। दूसरो का फिर मौका दिजिए। यह क्या तमाशा मुकर्रर किया हुआ है कि अम्बाला को इस तरह से इग्नोरन कर दिया जाए। आपको सिर्फ दो चार आदमी मिलेगे, जो बड़े अफसर होगे या उन से कुछ नीचे अफसर होगे। पुलिस मे ही ले लो। कांस्टेबल कितने है हमारे यहां? कयसा है, अम्बाला रेंज मे भरती होनी है, अम्बाला मे भर्ती करा लेगे पुलिस मे, लेकिन हारे यहा के नोजवान पुलिस मे भी रह जाते है। तो हम क्या करें? मै तो अपील करता हूं डिप्टी स्पकीर साहिबा, आप से आप कहे कि हमारे साथ ऐसा स्लूक न करो।

अब आप देख ले टीचर्ज का हाल। इस्लाम के प्रोफैट मुहम्मद साहब ने फरमाया है कि हर इन्सान के तीन बाप होते है– एक वह जिसकी पुश्त से इन्सान पैदा होता हैं, दूसरा वह जो बेटी देता है, तीसरा वह जो पढाता है या इल्म सिखाता है मगर तीसरी कैटेगरी का बाप पहले दोनो से अफजल हैं, बेहतर है। इसलिए मै कहता हूं कि उस्तादो की जायज मांगो का पूदा किजिए। उनकी सरप्रस्ती कीजिए ताकि वे बेफिक्री से नेशनल करेक्टरप बिल्ड कर सके। मै यहा खुला इखतालाफ रखता हूं कि दुनिया मे पीढी बदल गई है। जनाब, आज सूरत क्या हैं? एग्जामिनेशन हाल मे लड़के

खंजर लेकर जाते है। किताब लेकर नकल करते है सवालो की, ओर अगर विजिलेटर जाता है, रोकता है तो खंजर लेकर मारते है। यह चीज नही होनी चाहिए।

डिप्टी स्पकीर साहिबा, चण्डीगढत्र के मसले को लेकर जो हरकत हुई वह बहुत अफसोसनाक रही। यह नही होनी चाहिए थी।

उपाध्यक्षाः आप कितना टाईम लेगें?

खान अब्दूल गफ्फार खानः सिर्फ दो मिनट। नन्हे बच्चों के ऊपर गोलियां चली और वे मारे गए। हमे इस बात का बड़ा निहायत अफसोस और सदमा है। जनाब मोहतरिम यह ठीक है कि पुलिस वालेा की नीयत उनको गोली मारने की नही थी। यह गलत है कि उनकी नियत थी। कई कार सड़क पर गोली लग कर या दीवार पर लग कर जब गोली आकरप इन्सान को लगती है तो इन्सान मर जाता है। मै एक बात यहा कहता हूं । बहुत पुरानी बात है। जलियावाले बाग मे जब डायर ने गोली चलाई तो एक बहुत ऊंचे कोठे, चौबारे मे एक औरपत अपने बच्चे को जो दूध पीता था, दूध पिला रही थी। वहां गोली चली और वह उस बच्चे के जाकर लगी, जिसका खून आज भी, जाकर अगर आप मुलाहिजा फरमाये , वहां जमा हुआ है लेकिन जब हमने यह कहा तो हमारे खिलाफ मुकदमा आयद किया गया और कहा गया कि ये झूठ बोलते है। क्या सबूत है इनके पास? तो जनाब डिप्टी स्पीकर

साहिबा यह कहना कि जानबूझ कर गोलियां चलाई गई गलत बात है ओर सरकार को बदनाम करने के लिए कही जा रही है। इतफाक से कही हो गया होगा जिसके लिए हमें सदमा हैं, रंज है और मै चौधरी रणबीर सिंह की ताईद करता हूं कि जो मारे गये हैं उनके बालदेन को और लवाहकीन को कोइ इमदाद पहुंचाई जानी चाहिए।

आखिर मे, जनाब माहतरिम, आपकी मारफत मै मन्त्रि मण्डल से दरखास्त करता हूं कि मण्डल मे तो मे तो आप हो गए लेकिन हमारी तरफ भी ध्यान दे। बैठने से पहले फिर वही शेर पढ़ लेता हूं जो पहले पढा था कि–

गुल फैके है औरो की तरफ बल्कि समर भी

ऐ खाना बरअन्दाज कुछ तो इधर भी, कुछ तो इधर भी (तालियां)

5.00 P.M.

प्रिंसीपल ईश्वर सिंह(पुण्डरी): डिप्टी स्पकीर साहिबा, यह सेशन 13 तारीख से चला हुआ है और हमारे विरोधी दल के भाइयों ने इसमे ज्यादतर चण्डीगढ़ का मामला उभारा है। इसके बारे मे सब को मता है कि यह केस 1966 मे, जब विरोधी दल के बहुत से भाई जो अब एम.एल.ए. है और उस वक्त भी एम.एल.ए. थे, शुरू हुआ थी तगर उस वक्त उन्होन, जिस तरह से चोरी के मामले या दूसरे मामले थाने मे एफ.आई.आर. दर्ज कराया जाता है,

एफ.आई.आर. भी दर्ज नही कराया था जब कि खरड़ तहसील पंजाब को दिया गया और चण्डीगढ़ को यूनियन टेरेटरी बनाया गया था। इब जो यह बाद मे चण्डीगढ़ का मसला उठाया गया और कहा गया कि यह हिन्दी भाषी है, इसके लिए सरकार ने पूरा जोर लगाया जनता की भावना को औरगेलाईज किया, उनका उभारा और इसका नतीजा यह है कि आज हमे फाजिल्का जो शाह कमीशन ने नही दिया था, कयोकि इसकी कंटिग्यूटी नही बनती थी, मिला है। हमारे विरोधी दल के भाई चण्डीगढ के बारे मे तो हम रहे है लेकिन उनहोने फाजिलका का स्वागत पूरी तरह से नही किया।

हमे फाजिल्का का 572 सुकेयर माईल रकबा मिला है। उस रकबे के मिल जाने से हमारी स्टेट एक बार्डर स्टेट बन जाती है। एक बार्डर स्टेट को सैन्टर की तरफ से काफी ग्रांटस मिलती है। लोगो का इम्पलायमैंट देने के लिए, बार्डर सिक्योकिरटी फोश्रस बनाया जा सकता हैं। उस से इस किस्म का हर फायदा हमे होता हैं। दूसरी सब से बड़ी बात यह है कि वह इलाका इतना जरखेज है जिसकी बराबरी कोई भी इलाका नही कर सकता। इनका अन्दाजा वहां की मंडियों से लगाया जा सकता है। दो बहुत बड़ी बड़ी मडिंयो, फाजिल्का और अबोहर। अबोहर की एक मण्डी से कोई 17 लाख के करीब मार्किट फीस आती है ओर इसी प्रकार से फाजिल्का से आठ लाख मर्किट फीस आती है। कहने का मतलब यह है कि दोनो मण्डियों से 25 लाख रूपया आता है। अब

आप रोहतक जिले की मण्डी का हिसाब लगाये वहा सारे जिले की मण्डियो से केवल 20 लाख आती है और महेन्द्रगढ जिले से आठ लाख और गुड़गांव से 15 लाख साल की आमदनी है। दूसरे उस एरिया के बराबर किसी एरिया मे इतनी ऊन नही होती है। वहां पर सब से बड़ी ऊन की मण्डी है। पाकिस्तान बनने से पहले दुनियां की ऊन की सब से बड़ी मण्डी मानी जाती थी। दूसरे कपास की भी बहुत बड़ी मण्डी है। उसको वाहिट गोल्ड कहा जाता है यानी सफेद सोना। इस इलाके मे सारी दुनिया की छः परसैन्ट कपास होती है और हिन्दूस्तान की 20 परसैन्ट काटन पैदा होती है। जिस प्रकार से कैलीफोर्निया (अमेरिका) मालटा, अंगूर आदि पैदावार के लिए मशहूर है इसी प्रकार से यह इलाका भी हिन्दुस्तान मे जरखेज इलाका माना जाता है। इस इलाके से हरियाणा को बड़ा भारी फायदा हो सकता है। यदि उन मण्डियों मे कोई 20 हजार रूपया दे कर भी दुकान लेना चाहे तो भी वहां दुकान नही मिलती हैं। वह बहुत ही अच्छा इलाका है। कहने को विरोधी दल के भाई कुछ भी कहे लेकिन उन्होने कौन सा ऐसा काम किया है। कहने को विरोधी दले के भाई कुद भी कहे लेकिन उन्होने कौर सा ऐसा काम ककिया हैै जिसमे कुर्बानी दी है। जिन्होने कुर्बानी देनी होती है उनको रोक नही सकता है। जैसे कि——

बे—खतर कूद गया नमरूद, आतशे इश्क मे,

अक्ल है महवे तमाशाये लवे बाम अभी।

परवाना जो होता है वह तो इधर उधर देखता ही नही, वह तो आग मे कुद ही जाता है। जो कुछ वे आगे हो कर करना चाहते है वे कर सकते है और उन्हे करना चाहिए। लेकिन ये अपोजीशन के साथी सैन्टर की अपोजीशन की पार्टियो को भी हरियाण्ण के हक मे नही कर सके। एक बी.के.डी. ही ऐसी पार्टी है जिन्होने हरियाणा का आखिर तक साथ दिया।

जहां पर चण्डीगढ़ के एरिया का प्रशन है वह केवल 42.2 सुकेयर माईल बनता है और जिस मे से दस सुकेयर माईल जिस मे 6 गांव आ जाते है हरियाणा को मिल गया है। यानि पंजाब के पास केवल 32 सुकेयर माईल ही जाता है। इस प्रकार हम 540 सुकेयर माईल का फायदा होता है। यह ठीक है कि चण्डीगढ़ हिन्दी भाषी क्षेत्र था और इसके चले जाने से हमे महान दुख है। लेकिन यह भी कहे बगैर मै नही रह सकता कि चण्डीगढ़ कोई नैचुरल शहर नही है। न ही यहा पर कोई कुदरती प्रोडक्विट चीज है। न कोई खनिज पदार्थ वगैरह यहा होते है। जिस से कोई इण्डस्ट्रीज वगैरह ही लग सकती हो। जहां तक इसको राजधानी बनाये रखने का सम्बन्ध था यह न तो हरियाणा के सैन्टर मे था और न ही पंजाब के सेन्टर में था। दोनेा स्टेटों मे से यह किसी की भी सूट नही करता है। इस शहर से इतना फायदा नही है, खर्चा इस पर अधिक है। यहा पर जो लोग रहते है वे इस शहर को मंहगा की मानते है। जब कोई अफसर टूर पर

जाता हैं तो वह बाहर से ही समान खरीद कर लाने की कोशिश करता है।

जहां तक हरियाणा मे डिवैल्पमैंट का सम्बन्ध है। इसके बारे मे कोई अन्दाजा नही लगाया जा सकता है। इस वक्त हमारी हरियाणा स्टेट से केवल तीन स्टेटे डिवैल्पमैंट के क्षेत्र मे आगे है। गुजरात, पजाब और महाराष्ट्र। उपाध्यक्ष महोदया, पिछले दिनों वहां एक हमारी कमेटी टूर पर गयी जो वहां के पंचायत एक्ट के बारे मे मुलाहजे के लिए गयी थी। क्योकि हमारी स्टेट ने पंचायत एक्ट मे कुछ तरमीमी करनी थी। वह कमेटी महाराष्ट्र अहमदाबाद और गुजरात हो कर आयी है। गुतरात मे वहां के मिनिस्टर साहब से और वहा के डिवैल्पमैंट कमीश्नर और दूसरे अफसरान से हमारी बातचीज हुई और उन से हमने कुछ स्वालात भी पूछे। हमने उनसे एक सवाल यह भी पूछा कि आपकी सब स्कीमें बहुत प्रोग्रेसिव है तो आप की स्टेट मे हर गांव मे बिजली और सड़क का प्रबन्ध करने मे कितना टाईम लगेगा। उनका जवाब यह था कि इस बारे मे तो हमने विचार नही किया पूरी तरह से, लेकिन कम से कम 20 साल तो जरूर लग जायेगें, परन्तु इधर हमारी सराकर ने यह स्कीम बनायी है कि चार साल के अन्दर अन्दर हर गांव मे सड़क पहुंच जायेगी और तीन साल के अन्दर हर गांव मे बिजली लग जायेगी। यह कोई छोटी तरक्की नही है।

दूसरी चीज जो हमारी स्टेट मे है वह यह है कि हमारा सूबा दिल्ली के पास है। यहां पर इण्डस्ट्रीयल बैल्ट है। कुछ

हरियाणा की सिचुवेशन भी इस ढंग की है। दिल्ली के पास होने की वजह से हमारी स्टेट के अन्दर इण्डस्ट्री की खास तरक्की हो सकती है और हर कारखानेदार यहां कारखाना लगाने को तैयार है।

उपाध्यक्ष महोदया, जो मै यह एक जरूरी चीज कहना चाहता हूं वह यह है कि हरियाणा स्टेट का आपमी किसी भी से कम नही है। हर क्षेत्र मे वह आगे है। लड़ाई लड़ने मे भी वह सब से आगे हैं, जब पिछले दिनो चीन और पाकिस्ताना की लड़ाईया हुई, तो हरियाणा फर्स्ट रहा था, राजस्थान सैकिण्ड और पंजाब थर्ड रहा था। इसी प्रकार से पैसे और धन के लिहाज से भी वह सारे हिन्दस्तान मे मशहूर है। यहां के लोगो को तो मौके पर तरक्की नही मिल सकी। अब तरक्की का मौका है, राज स्थिर है यहां तरक्की हो सकती हे। डिवैल्पमैंट का टैम्पो बना हुआ ह।। हम तेजी के साथ आगे जा रहे है। किसी भी क्षेत्र मे ले लिजिए बिजली में, सड़को मे, एग्रीकल्चर मे और एनीमल हसबैन्डरी मे, सब क्षेत्रों मे तरक्की हो रही है। कैटल डिवैल्पमैंट मे हमारी तेजी से तरक्की हो रही है। गुड़गावं और करनाल मे इन्टेनसिव कैटल स्कीम चालू है। इधर जीन्द मे मिल्क प्लांट लगाया जार रहा है। इसी प्रकार से एक पैहवा मे बन रहा है। हिसार मे और भिवानी मे भी बनाने का ख्याल है। कहने का मतलब यह है कि एनीमल हसबैण्डरी और एग्रीकल्चर मे काफी तरक्की हो रही है? दूसरे आज तक किसी भी सरकार मे जमीदोरों

को इतने कर्जे नही मिले। कोआपरेटिव सोसाइटियों से और लैंड मोर्गेज बैंक और फाईनैनस कार्पोरेशन से जमींदारों का और दूसरे लोगों का कर्जे दिये जा रहे है। अब नैशनेलाईजेशन का जमाना आ रहा है। बैंक नेशनेलाईजेशन हो जाने से काफी तरक्की होगी। अब मै जमाना है तरक्की करने को और आगे बढने का। इसलिए मै समझता हूं कि हरियाणा राज हर तरह से आगे जा रहा हैं।

उपाध्यक्ष महोदया, जो पिछले दिनेा हरियाणा मे गड़बड़ हुई इसकी जिम्मेदारी सभी भाईयों पर है चाहे वह अपोजीशन के है या किसी भी पार्टी के है। क्योंकि एजूकेशन की हमारे स्टूडेन्टों मे कुद कमी रही है। एजूकेशन के ऐसे सबजैक्ट होने चाहिए जो पोलिटिक्स से ऊपर हो। स्टूडैन्टो की जो चण्डीगढ़ का डिसीजन हुआ उसमे भावनाऐ भड़की। मै यह कहे बगैर भी नही रह सकता हूं कि इ न की भावनाओं को भड़काने के पीछे कोई फाउल प्ले जरूर था, उनको उकसाया जरूर गया। मुझे पता है कि कुरूक्षेत्र यूनिवर्सिटी के चारों तरफ जीपे चली, वह हिसान मे भी पहुंची है। इस सब के पीछे एक मास्टर माईन्ड है। मे सरकार से निवेदन करूंगा कि इस विषय मे इन्कवायरी होनी चाहिए और सरकार को इस विषय पर दोबारा सोचना चाहिए कि कौन लागा थे जिन्होने लोगो को, स्टूडैन्टो का भड़काया। उनका इसके पिछे क्या ऐम हैं, क्या आबजैक्ट है?

अब हमे ह सोचना चाहिए कि एजूकेंशन किस प्रकार की हो? एजूकेशन का क्या ऐम है। जो भी कालेज से लड़के निकल

रहे है वे नौकरी की मांग कर रहे है। हम एजुकेशन का मयार ऐसा बनाये जिस से हर एक को काम मिल सके। हमे इस प्रकार का सलेबस कालेज और स्कूलों मे बनाना चाहिए जिस से उन का धन्धा मिले। हम कालेज और स्कूल के बच्चों के अन्दर इस प्रकार की सैन्स पैदा करे कि वे अपने कैरकक्टर को ठीक ढग से रख सके। उनके अन्दर अपने आप समझ होनी चाहिए। उनका नालेज इनता होना चाहिए कि वे दूसरो के चक्कर मे ना आ सके। तो मै सरकार से निवेदन करूंगा कि इस बारे मे सरकार सोचे। मै ज्यादा टाईम तो नही लेना चाहता परन्तु जहां तक टीचर्ज का सवाल है उसके बारे मे सरकार को सोचना पड़ेगा। क्योकि एक चीज होती है एक तो बेदिल जो नौकर होता है। वह दुश्मन के बराबर होता है। शिक्षा को उसी के द्वारा फैलना है। ऐजूकेशन एक ऐसा प्रोसैस है जो बाई दी लिविंग, थ्रु दी लिविंग और इंटू दी लिविंग है। इस सिस्टम से चलन है। बगैर टीचर के कोई ऐजूकेशन नही दे सकता। कोई भी टीचर के बगैर किताब नही पढ सकता। टीचर की परसनैलिटी पर बड़ा दारामदार है, वह कैसे बोलता है, कैसे डैस्क्राईव करता है, उसका क्या कैरक्टर है, उसके क्या विचार हैं कैसी वह मिसाले पेश करता है? उनको ग्रेडज के बारे मे जो रोष है असके बारे मे हमे सोचना चाहिए और उनकी जो जायज मागें है वे पूरी करनी चाहिए। वे ऐसा महसूस न करे कि हमारे साथ विक्टामाईजेशन हो रहा है, या हमारे साथ ठीक ढंग से सलूक नही हो रहा है। उनके नुमाईदो का बुलाकर, उनको बिठाकर रेलीज ऐड्रेस करके या ेगी कमेटीज बनानी चाहिए जो

उनकी ग्रिवेन्सीज है उनका सुने और उनका ठीक ढंग से हल करें। जब तक सबजैक्ट और आबजैक्ट एटमास्फेयर एंउ इंस्ट्रक्जप एण्ड कास्ट ऐक्शन ये सारी चीजे नही मिल पाती हैं तक तक कम्पलीट ऐक्शन नही होता। इन सारी चीजो पर गम्भीरता से सोचना पड़ेगा। स्टूडेन्टस की जो प्रोब्लमज है उन पर भी विचार करना पड़ेगां। हमारी यह जो प्रोडेक्शन है वह ठीक है या नही या किधर को जा रही है। ये सारी हम सोचनी है।

वित्त मंत्री (श्रीमती औम प्रभा जैन): डिप्टी स्पीकर साहिबा, मुझै इस बात का अफसोस है कि हरियाणा बजट के ऊपर जो एप्रोप्रियेशन बिल अब पास होने जा रह है इसमे हमारे विरोधी दल के भाईयों ने सहयोग नही दिया औ व चले गए। डिप्टी स्पीकर साहिबा, पजातंत्र मे विरोधी दलो को अधिकार हैं कि वे अपने बातो को व्यक्त करे ओर पिछले कुछ दिनों से वे अपनी बातो को इस हाउस मे व्यक्त कर रहे थें। हम चाहते थें। हम चाहते थे कि जो भी उनकी उचित मांगे हो, जो भी उन की उचित बाते हो उनके ऊपर सरकार ध्यान देगी। हमे तो थोड़ा सा इस बात का अफसोस है कि हरियाणा का राजनीतिक वातावरण कुछ ऐसा रहा और यहा पर दल बदलने वालों की संख्या इस प्रकार बढती रही कि जमहुरियत को जिस ढंग से चलना चाहिए था उसमे बहुत रूकावट पड़ी। डिप्टी स्पीकर साहिबा, सरकार जनमत का आदर करती है, विरोधी दलों का आदर करती है और हम चाहते भी थें कि जो इन को सम्मान प्राप्त होना चाहिए वह हम देगे।

आप देख रही है। पिछले 10–15 दिनों से बहुत अच्छी तरह से हाउस चल रहा था और अपोजीशन को बोलने का पूरा मौका मिला लेकिन उसके बावजूद इन की जो रात की सरगर्मिया थी और जिस तरह से इन्होने हमारे मैम्बर्ज को उठाने की और उनका बन्द कर रखने की कोशिश की, मै समझती हूं कि प्रजातं के नाम पर काला धब्बा है। इस तरह से किसी मैम्बररप को बांध कर रखना बहुत अनुचित हैं। प्रजातंत्र मे एक बार मौका मिलता हैं जब जनता अपने प्रतिनिधी चुनकार भेजती है और जिस पार्टी के हाथ मे सता आती है उसका फर्ज बन जाता है कि वह लोगो के हित मे काम करे। अगर सरकार बराबर इन्ही चीजेा मे फसी रहे तो न प्रदेश की डिवैल्पमैंट हो सकती है औरप न लोगो को न्याय मिल सकता है।

डिप्टी स्पीकर साहिबा, आज एप्रोप्रिएशन बिल 224 करेाड़ रूपए का हाउस के सामने हैं। मैने बजट के उतर मे कहा था कि किस प्रकार से हरियाणा की आर्थिक अवस्था मे एक बड़ा परिर्वतन आया है औ हम तरक्की की और जा रहे हैं। मै यह मानती हूं कि हरियाणा मे बहुत से ऐसे स्थान है और बहुत से ऐसे इलाके है जहां तरक्की उतनी नही हुई जितनी कि होनी चाहिए थी। कई दिनो से मैम्बर्ज के विचारो को सुनने से यह लगता है कि अभी बहुत जगह काम करना है। सरकार इस बात को समझती है लेकिन आप जानती है कि जैसे जैसे हमारे साधन बढ रहे है। हम उसी प्रकार से काम कर रहे है। हम यह चाहते है

कि अपने प्लान को इंटेगरेटिड रूप मे इस प्रकार से जनता मे लाए कि रोटी कपड़ा और जिन्दगी की दूसरी चीजों को हम सब से पहले मोहय्या करे। इस लिए हमने अपना ध्यान से बसे पहले कैनाल, इरिगेंशन, वर्क्श, फल्ड वर्क्स, बिजली, सड़क और दूसरी चीजो पर लगाया है। हम चाहते है कि प्रदेश मे सब लोगो को, सब इलाकों का बराबर क साधन मिलें और उनको बराबर की परिस्थितियां मिले। इसके लिए यही तरीका हो सकता हैंकि हम अधिक से अधिक बिजली मोहय्या करें, स्कूल खोले, इण्डस्ट्रीज को प्रोत्साहन दे ताकि जो बैकवर्ड इलीाके है जहां कि अभी सड़क नही है, जहां बिजली नही है उन को भी ये चीजे मिल सके। मै यह भी कहना चाहती हूं कि जैसा कि मैने कल बतलाया कि हमने इण्डस्ट्रीज को बहुत सारे इंसेटिव दिए हैं। बहिन शारदा जी बता रही थी कि फरीदाबाद, बल्लभगढ़ की इण्डस्ट्रीज को तीन साल के लिए सुविधा दी गई। इसका एक कारण है बल्लभगढ़ और फरीदाबाद मे इण्डस्ट्रीज इतनी ऊंची पहुंच गई है और इतनी भारी इण्डस्ट्रीज हो गई है कि हम चाहते है कि ये इण्डस्ट्रीज दूसरी जगहों जैसे रिवाड़ी, भिवानी, अम्बाला, जगाधरी, करनाल, पानीपत आदि मे भी पहुंचे। इसलिए हमने इन कसेसंज पको तीन तरीको से डिवाईड किया है पहले बल्लभगढ़ और फरीदाबाद के लिए, दूसरा हमारा प्रोग्रेसिव इलाका और तीसरा बैक्वर्ड इलाका, हस तरह से इण्डस्ट्रीज को प्रोत्साहन दिया गया हैं।

डिप्टी स्पीकर साहिबा, हमारे पहले, दूसरे और तीसरे प्लान मे एग्रीकल्चर पर बहुत जोर दिया गया है। चौथे प्लान से ज्यादा जोर दिया गया। आर्थिक व्यवस्था के लिए बहुत आवश्यक है कि हम इण्डस्ट्रीज को आग लाए और साथ ही साथ एलाइड एग्रो इण्डस्ट्रीज को बढावा दे। हरियाणा सरकार का यह प्रयत्न है कि छोटे उधोग धन्धो और छोटी इण्डस्ट्रीज जैसे डैरी इण्डस्ट्री, पोलटरी इण्डस्ट्री और इसी प्रकार की दूसरी इण्डस्ट्रीज को बढावा दिया जाए। इससे मै समझती हूं कि बेराजगारी की समस्या काफी हल हो जाएगी।

कल डा. मंगल सैन ने काल अटैन्शन मोशन दी कि ट्रेडर्ज के साथ बड़ी ज्यादती हो रही है। क्योंकि यह मेरा महकमा था इसलिए मै समझती हूं कि जो कुछ उन्होने कहा वह उचित नही है। मैने ट्रेडर्ज को अधिक से अधिक मौका दिया है कि वे अपनी तकलीफे बतायें। डिप्टी स्पीकर साहिबा, मै पूरी इमानदारी से कहती हूं कि जब भी मुझसे मिले है। मैने दो दो चार चार घण्टे उन से बात की औरप उनकी तकलीफे दूर करने की कोशिश की है। अभी उन्होने कहा था कि फर्स्ट स्टेज पर सेल्ज टैक्स नही लगाना चाहिए, लास्ट स्टेज पर लगाना चाहिए, मैने उनकी यह बात भी मान ली। उन्होने कहा कि आयल और आयलसीडज पर टैक्स कम होना चाहिए, हमने उनकी यह बात भी मान ली और जितनी भी हम टैक्स के सिलसिले मे व्यवस्था ठीक कर सकते थें हमने करने का प्रयत्न किया। जहां भी हम जाते है। अभी अभी जो

उन्होने पिछले दिनों 21 तारीख को हड़ताल करने की कोशिश की उस बारे मे पहले दिया हुआ उनका कोई मैमोरैन्डम नही था, कोई चार्टर आफ डिमान्ड नही था, उन्होने कभी मुझसे मिलने की कोशिश नही की और एकदम से हड़ताल करी। उसकी एक वजह थी कि व्यापार मण्डल के प्रैजीडैन्ट, जो अपने आम को कहते है, खास पोलीटीकल आदमी से उनका समब्न्ध था और वह हरियाणा की सरकार का नीचा दिखाना चाहते थें और हरियाणा के व्यापारी वर्ग पर इस बात का प्रभाव पैदा करना चाहते थे कि हरियाणा के व्यापारी उनके इशारों पर नाचेगें। लेकिन मुझे यह जानकर बहुत खुशी हुई कि बहुत से हमारे इलाके के लोगो ने ट्रेडर भाईयो ने उनकी बात मानने से इनकार कर दिया और उन्होने सरकार से किसी प्रकार भी रोष प्रकट करने के लिये उनका साथ नही दिया। डिप्टी स्पीकर साहिबा, मै यहा जो मैम्बर साहिबान ने अपने ख्यालात पेश किये हैं, अपने इलाके की बात कही है, उसके लिये पूरी तरह से तो एश्योरैन्स देना बड़ा मुश्किल हैं, लेकिन कही है, उसके लिये पूरी तरह से तो एश्योरैन्स देना बड़ा मुश्किल है, लेनि डिप्टी स्पीकर साहिबा, यह सरकार लोगो की है हमने लोगो के लिये काम करना है, इलाके के लिये काम करना है, हम इस बात का पूरा प्रयत्न करैगे कि हर जगह पर जहां जहां पर मुनासिब तौर पर हम चीजे पहुंचा सकते है, वहां दी जाये और सरकार उनकी तकलीफे दूर करने मे कामयाब हो सके। डिप्टी स्पीकर साहिबा, आज हमारा सेशन खत्क हो जायेगा, उसके बाद हम और हमारे मैम्बर साहिबान अपने अपने इलाको मे जायेगे। आज हमारे

सामने बहुत बड़े बड़े आर्थिक सवाल है। यह बात सही है कि चण्डीगढ़ के फैसले से हमको बहुत बड़ा अधात पहुंचा, हम सब को बहुत दुख हुआ। मै यह भी कहना चाहती हू कि चण्डीगढ लेने के लिय सरकार ने कोई कोशिश अपनी तरफ से नही छोड़ी। हमने चण्डीगढ लेने के लिये सरकार ने कोई कोशिश अपनी तरफ से नही छोड़ी। हमने चण्डीगढ़ के केस को किसी प्रकार से प्लीड करने के या सैट्रंल लीडरर्ज से कहने मे हमने कोई कमी रखी हो, ऐसी बात नही, लेकिन जैसा कि आप जानते है कि भावनाये दोनो तरफ बहुत प्रबल थी, सैन्ट्रल गवर्नमैंट ने सारे राष्ट्र के हित को ध्यान मे रखते हुए एक लार्जर इन्ट्रैस्ट मे जो फैसला किया, हमे को मजबूरन उसे कबूल करना पड़ा। लेकिन डिप्टी स्पीकर साहिबा, हमे इस बात की खुशी है कि उन्होने हमे वह इलाका, वह जरखेज इलाका दिया जो हमे शाह कमीशन नही दिला सका था। और उसक मे हमारे और उनकी बीच पंजाब की कुद बाउन्उरी आ जाती थी। आज उस इलाके के लिये हमारे लागो के दिलो मे बहुत खुशी है और हम इस बात की उम्मीद करते है कि वह इलाका हमे जल्दी से जल्दी मिलेगा ताकि वहां की डिवैल्पमैंट जिसके रूक जाने का अन्देशा हैं, को बनाये रखा जा सके और लोगो के अन्दर पूर्ण विश्वास जमाये रखे। डिप्टी स्पीकर साहिबा, अब हम लोग सेशन के बाद अपने अपने घर जायेगे और मै आशा करती हूं कि हम सब आपसी विरोध भाव को छोड़कर अपने प्रदेश की डिवैल्पमैंट और आर्थिक उन्नति और प्रगति का बनाये रखने

के लिए पूरा काम करेगे और सरकार के साथ सहयोग देगें। * * * * ** * * * * **

उपाध्यक्ष (श्रीमती लेखावती जैन): मै चाहूगी कि उसका जिक्र न आये तो अच्छा है।

श्रीमती औम प्रभा जैनः मै इन शब्दो के साथ आपका धन्यावाद करती हूं और हाउस से प्रार्थना करती हूं कि इस ऐप्रोप्रिएशन बिल का पास किया जाय।

Deputy Speaker: Question is –

That the haryana Appropriation (No.2)Bill be taken into consideration at once.

The Motion was carried.

THE PUNJAB STATE LEGISLATURE (PREVENTION OF DISQUALIFICATION) HARYANA AMENDMENT BILL

Deputy Speaker: Now, the House will take up the Bill Clause by Clause.

Clause 2

Deputy Speaker: Question is-

That Clause 2 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 3

Deputy Speaker: Question is-

That Clause 3 stands part of the Bill.

The motion was carried

Schedule

Deputy Speaker: Question is-

That Schedule stands part of the Bill.

The motion was carried

Clause 1

Deputy Speaker: Question is-

That Clause 1 stands part of the Bill.

The motion was carried

TITLE

Clause 3

Deputy Speaker: Question is-

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried

Shrimati Om Prabha Jain: Madam, I beg to move-

That the Haryana Appropriation (No. 2) Bill be passed.

Deputy Speaker: Motion moved-

That the Haryana Appropriation (No. 2) Bill be passed.

Deputy Speaker: Question is-

That the Haryana Appropriation (No. 2) Bill be passed.

The motion was carried

THE PUNJAB STATE LEGISLATURE (PREVENTION OF DISQUALIFICATION) HARYANA AMENDMENT BILL, 1970

Finance Minister (Shrimati Om Prabha Jain): Madam, I beg to introduce the Punjab State Legislature (Prevention of Disqualification) Haryana Amendment Bill, 1970.

Deputy Speaker: I have received a notice for the disapproval of the Ordinance relating to this Bill. But, since the mover is not present in the House, it is automatically withdrawn.

(Shrimati Om Prabha Jain): Madam, I beg to move-

That the Punjab State Legislature (Prevention of Disqualification) Haryana Amendment Bill be taken into consideration at once.

Deputy Speaker: Motion moved-

That the Punjab State Legislature (Prevention of Disqualification) Haryana Amendment Bill be taken into consideration at once.

Deputy Speaker: Question is-

That the Punjab State Legislature (Prevention of Disqualification) Haryana Amendment Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Deputy Speaker: Now, the House will take up the Bill Clause by Clause.

Clause 2

Deputy Speaker: Question is-

That Clause 2 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 3

Deputy Speaker: Question is-

That Clause 3 stands part of the Bill.

The motion was carried

Clause 1

Deputy Speaker: Question is-

That Clause 1 stands part of the Bill.

The motion was carried

TITLE

Deputy Speaker: Question is-

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried

Shrimati Om Prabha Jain: Madam, I beg to move-

That the Punjab State Legislature (Prevention of Disqualification) Haryana Amendment Bill be passed.

Deputy Speaker: Motion moved-

That the Punjab State Legislature (Prevention of Disqualification) Haryana Amendment Bill be passed.

Deputy Speaker: Question is-

That the Punjab State Legislature (Prevention of Disqualification) Haryana Amendment Bill be passed.

The motion was carried

THE PUNJAB LEGISLATURE ASSEMBLY SPEAKER'S AND DEPUTY SPEAKER'S SALARIES (HARYANA AMENDMENT) BILL, 1970

Finance Minister (Shrimati Om Prabha Jain): Madam, I beg to introduce the Punjab legislature Assembly Speaker's and Deputy Speaker's Salaries (Haryana Amendment) Bill, 1970

I also beg to move-

That the Punjab legislature Assembly Speaker's and Deputy Speaker's Salaries (Haryana Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Deputy Speaker: Motion moved-

That the Punjab legislature Assembly Speaker's and Deputy Speaker's Salaries (Haryana Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Deputy Speaker: You may bring the amendment when the Bill is taken up clause by clause.

Deputy Speaker: Question is-

That the Punjab legislature Assembly Speaker's and Deputy Speaker's Salaries (Haryana Amendment) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Deputy Speaker: Now, the House will take up the Bill Clause by Clause.

Clause 2

Sh. Banarsi Dass Gupta (Bhiwani): Madam, I beg to move that-

After the figure "1937", the brackets and words "(herewith referred to as the principal Act)" shall be inserted.

Deputy Speaker: motion moved-

After the figure "1937", the brackets and words "(herewith referred to as the principal Act)" shall be inserted.

Deputy Speaker: Question is-

After the figure “1937”, the brackets and words “(herewith referred to as the principal Act)” shall be inserted.

Deputy Speaker: Question is-

That the Clause 2, as amended, stands part of the Bill.

The motion was carried

New Clause 3

Sh. Banarsi Dass Gupta (Bhiwani): Madam, I beg to ask for leave to move that existing clause 3 be renumbered as clause 4 and before clause as so renumbered, the following clause shall be inserted, namely:-

“3. After section 3A of the principal Act, the following section be inserted, namely:-

‘3B Liability to pay income tax:-

The Speaker’s and the Deputy Speaker’s salaries and allowances referred to in this Act shall be exclusive of the tax payable in respect thereof under any law relating to income-tax for the time being in force, and such tax shall be borne by the State Government.

Explanation:- For the purpose of this section, the salary and allowances received by the Speaker or the Deputy Speaker during any financial year shall be deemed to be his only income for that year.”

Deputy Speaker: Has the Hon. Member the leave of the House to move the new clause?

Voices: Yes.

The leave was granted.

Sh. Banarsi Dass Gupta: Madam, I beg to move-

That existing clause 3 be renumbered as clause 4 and before clause as so renumbered, the following clause shall be inserted, namely:-

"3. After section 3A of the principal Act, the following section be inserted, namely:-

'3B Liability to pay income tax:-

The Speaker's and the Deputy Speaker's salaries and allowances referred to in this Act shall be exclusive of the tax payable in respect thereof under any law relating to income-tax for the time being in force, and such tax shall be borne by the State Government.

Explanation:- For the purpose of this section, the salary and allowances received by the Speaker or the Deputy Speaker during any financial year shall be deemed to be his only income for that year."

Deputy Speaker: Motion moved-

That existing clause 3 be renumbered as clause 4 and before clause as so renumbered, the following clause shall be inserted, namely:-

"3. After section 3A of the principal Act, the following section be inserted, namely:-

‘3B Liability to pay income tax:-

The Speaker’s and the Deputy Speaker’s salaries and allowances referred to in this Act shall be exclusive of the tax payable in respect thereof under any law relating to income-tax for the time being in force, and such tax shall be borne by the State Government.

Explanation:- For the purpose of this section, the salary and allowances received by the Speaker or the Deputy Speaker during any financial year shall be deemed to be his only income for that year.”

Deputy Speaker: Question is-

That existing clause 3 be renumbered as clause 4 and before clause as so renumbered, the following clause shall be inserted, namely:-

“3. After section 3A of the principal Act, the following section be inserted, namely:-

‘3B Liability to pay income tax:-

The Speaker’s and the Deputy Speaker’s salaries and allowances referred to in this Act shall be exclusive of the tax payable in respect thereof under any law relating to income-tax for the time being in force, and such tax shall be borne by the State Government.

Explanation:- For the purpose of this section, the salary and allowances received by the Speaker or the Deputy Speaker during any financial year shall be deemed to be his only income for that year.”

The motion was carried.

EXISTING CLAUSE 3, RENUMBERED AS CLAUSE 4

Deputy Speaker: Question is-

That existing clause 3 renumbered as clause 4 stand part of the Bill.

That the motion was carried

Clause 1

Deputy Speaker: Question is-

That clause 1 stand part of the Bill.

That the motion was carried

TITLE

Deputy Speaker: Question is-

That Title be the title of the Bill.

That the motion was carried

(Shrimati Om Prabha Jain): Madam, I beg to move-

That the Punjab legislature Assembly Speaker's and Deputy Speaker's Salaries (Haryana Amendment) Bill, as amended, as passed.

Deputy Speaker: Motion moved-

That the Punjab legislature Assembly Speaker's and Deputy Speaker's Salaries (Haryana Amendment) Bill, as amended, as passed.

Deputy Speaker: Question is-

That the Punjab legislature Assembly Speaker's and Deputy Speaker's Salaries (Haryana Amendment) Bill, as amended, as passed.

The motion was carried.

THE PUNJAB LEGISLATURE ASSEMBLY (ALLOWANCES OF MEMBERS) HARYANA AMENDMENT BILL, 1970

(Shrimati Om Prabha Jain): Madam, I beg to move-

That Punjab legislature Assembly (Allowances of members) Haryana Amendment Bill be taken into consideration at once.

डिप्टी स्पीकर साहिबा, मुझे इस बिल को हाउस में पेश करते हुए बहुत खुशी हुई हैं क्योंकि हरियाणा सरकार ने बहुत प्राग्रैसिव कदम उठाया है, और जिस प्रजातन्त्र की बात लीडर आफ दी आपोजीशन कर रहे थे, उसको बरकरार रखते हुए, हरियाणा सरकार ने जो कि हिन्दोस्तान में यह पहली स्टेट है जिसने लीडर आफ दी आपोजीशन को बहुत उच्च स्थान दिया है। इस बिल के जरिये सरकार ने यह फैसला किया है कि लीडर आफ दी आपोजीशन को बिसाईडज अदर एलाऊंसिज 1000 रूपया तनख्वाह और फ्री फरनिश्ड एकोमोडेशन दी जाए। मैं यह समझती हूं कि

यह एक बड़ा प्रोग्रैसिव स्टेप है, मेरी प्रार्थना है कि इस बिल को हाउस मन्जूर फरमाये।

Deputy Speaker: Motion moved:-

That the Punjab legislature Assembly (Allowances of members) Haryana Amendment Bill be taken into consideration at once.

Deputy Speaker: Question is-

That the Punjab legislature Assembly (Allowances of members) Haryana Amendment Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Deputy Speaker: The House will now take up the Bill Clause by Clause.

Clause 2

Deputy Speaker: Question is-

That Clause 2 stand part of the Bill.

That the motion was carried

Clause 3

Deputy Speaker: Question is-

That Clause 3 stand part of the Bill.

That the motion was carried

Clause 4

Deputy Speaker: Question is-

That Clause 4 stand part of the Bill.

That the motion was carried

New Clause 5

Sh. Daya Krishan (Jind): Madam, I beg to ask for leave to move-

That existing clause 5 be renumbered as clause 6 and before clause 6 as so renumbered, the following clause shall be inserted, namely:-

"5. After section 4C of the principal Act, the following section be inserted, namely:-

'4D. Liability to pay income tax:-The member's allowances referred to this Act shall be exclusive of the tax payable in respect thereof under any law relating to income tax for the time being in force and such tax shall be borne by the State Government.

Explanation:- For the purpose of this section, the salary and allowances received by the Speaker or the Deputy Speaker during any financial year shall be deemed to be his only income for that year."

Sh. Daya Krishan (Jind): Madam, I beg to move-

That existing clause 5 be renumbered as clause 6 and before clause 6 as so renumbered, the following clause shall be inserted, namely:-

"5. After section 4C of the principal Act, the following section be inserted, namely:-

'4D. Liability to pay income tax:-The member's allowances referred to this Act shall be exclusive of the tax payable in respect thereof under any law relating to income tax for the time being in force and such tax shall be borne by the State Government.

Explanation:- For the purpose of this section, the salary and allowances received by the Speaker or the Deputy Speaker during any financial year shall be deemed to be his only income for that year."

Deputy Speaker: Question is-

That existing clause 5 be renumbered as clause 6 and before clause 6 as so renumbered, the following clause shall be inserted, namely:-

"5. After section 4C of the principal Act, the following section be inserted, namely:-

'4D. Liability to pay income tax:-The member's allowances referred to this Act shall be exclusive of the tax payable in respect thereof under any law relating to income tax for the time being in force and such tax shall be borne by the State Government.

Explanation:- For the purpose of this section, the salary and allowances received by the Speaker or the Deputy Speaker during any financial year shall be deemed to be his only income for that year."

The motion was carried.

Deputy Speaker: Has the Hon. Member the leave of the House to move the new clause?

Voices: Yes.

The leave was granted.

EXISTING CLAUSE 5, RENUMBERED AS CLAUSE 6

Deputy Speaker: Question is-

That existing clause 5 renumbered as clause 6 stand part of the Bill.

That the motion was carried

Clause 1

Deputy Speaker: Question is-

That Clause 1 stand part of the Bill.

That the motion was carried

TITLE

Deputy Speaker: Question is-

That Title be the title of the Bill.

That the motion was carried

(Shrimati Om Prabha Jain): Madam, I beg to move-

That the Punjab legislature Assembly (Allowances of members) Haryana Amendment Bill, as amended, be passed.

Deputy Speaker: Motion moved-

That the Punjab legislature Assembly (Allowances of members) Haryana Amendment Bill, as amended, be passed.

Deputy Speaker: Question is-

That the Punjab legislature Assembly (Allowances of members) Haryana Amendment Bill, as amended, be passed.

The motion was carried.

THE HARYANA SALARIES AND ALLOWANCES OF MINISTERS BILL, 1970

Finance Minister (Shrimati Om Prabha Jain): Madam, I beg to introduce the Haryana Salaries and Allowances of Minister's Bill, 1970

Deputy Speaker: I have received a notice for the disapproval of the Ordinance relating to this Bill. But, since the mover is not present in the House, it is automatically withdrawn.

(Shrimati Om Prabha Jain): I beg to move-

That the Haryana Salaries and Allowances of Minister's Bill be taken into consideration at once.

Deputy Speaker: Motion moved-

That the Haryana Salaries and Allowances of Minister's Bill be taken into consideration at once.

Deputy Speaker: Question is-

That the Haryana Salaries and Allowances of Minister's Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now, the House will take up the Bill Clause by Clause.

Clause 2

Deputy Speaker: Question is-

That Clause 2 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 3

Mr. Speaker: A number of amendments were received to this clause. Since the member(s) giving notice thereof is/are not present, these are automatically withdrawn.

Question is-

That Clause 3 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 4

That Clause 4 stands part of the Bill.

The motion was carried

Clause 5

That Clause 5 stands part of the Bill.

The motion was carried

Clause 6

That Clause 6 stands part of the Bill.

The motion was carried

Clause 7 to 10

That Clause 7 to 10 stands part of the Bill.

The motion was carried

Clause 1

Mr. Speaker: Question is-

That Clause 1 stands part of the Bill.

The motion was carried

TITLE

Mr. Speaker: Question is-

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried

Shrimati Om Prabha Jain: Madam, I beg to move-

That the Haryana Salaries and Allowances of Minister's Bill be passed.

Mr. Speaker: Motion moved-

That the Haryana Salaries and Allowances of Minister's Bill be passed.

Deputy Speaker: Question is-

That Haryana Salaries and Allowances of Minister Bill be passed.

The motion was carried

THE HARYANA LAND REVENUE (ADDITIONAL SURCHARGE) AMENDMENT BILL, 1970

Finance Minister (Shrimati Om Prabha Jain): Madam, I beg to introduce the Land Revenue (Additional Surcharge) Amendment Bill, 1970

Deputy Speaker: I have received a notice for the disapproval of the Ordinance relating to this Bill. But, since the mover is not present in the House, it is automatically withdrawn.

(Shrimati Om Prabha Jain): I beg to move-

That the Land Revenue (Additional Surcharge) Amendment Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Motion moved-

That the Land Revenue (Additional Surcharge) Amendment Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Question is-

That the Land Revenue (Additional Surcharge) Amendment Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now, the House will take up the Bill Clause by Clause.

Sub-Clause (2) of Clause 1

Mr. Speaker: Question is-

That Sub-Clause (2) of Clause 1 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 2

Deputy Speaker: Question is-

That Clause 2 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Certain amendments were received to this clause. Since the member(s) giving notice thereof is/are not present, these are automatically withdrawn.

Question is-

That Clause 3 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Sub-Clause (1) of Clause 1

Mr. Speaker: Question is-

That Sub-Clause (1) of Clause 1 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Shrimati Om Prabha Jain: Madam, I beg to move-

That the Land Revenue (Additional Surcharge) Amendment Bill be passed.

Mr. Speaker: Motion moved-

That the Land Revenue (Additional Surcharge) Amendment Bill passed.

Mr.Speaker: Question is-

That the Land Revenue (Additional Surcharge) Amendment Bill be passed.

The motion was carried.

THE PUNJAB TOWN IMPROVEMENT (HARYANA AMENDMENT AND VALIDATION) BILL, 1970

Health and Development Minister (Chaudhary Khurshed Ahmed): Sir, I beg to introduce the Punjab Town Improvement (Haryana Amendment and Validation) Bill, 1970

Mr. Speaker: I have received a notice for the disapproval of the Ordinance relating to this Bill. But, since

the mover is not present in the House, it is automatically withdrawn.

(Ch. Khurshed Ahmed): Sir, I beg to move-

That the Punjab Town Improvement (Haryana Amendment and Validation) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Motion moved-

That the Punjab Town Improvement (Haryana Amendment and Validation) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Question is-

That the Punjab Town Improvement (Haryana Amendment and Validation) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now, the House will take up the Bill Clause by Clause.

Sub-Clause (2) of Clause 1

Mr. Speaker: Question is-

That Sub-Clause (2) of Clause 1 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 2

Deputy Speaker: Question is-

That Clause 2 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 3 and 4

Mr. Speaker: Question is-

That Clause 3 and 4 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Sub-Clause (1) of Clause 1

Mr. Speaker: Question is-

That Sub-Clause (1) of Clause 1 stands part of the Bill.

The motion was carried.

TITLE

Mr. Speaker: Question is-

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried

Ch. Khurshed Ahmed: Sir, I beg to move-

That the Punjab Town Improvement (Haryana Amendment and Validation) Bill be passed.

Mr. Speaker: Motion moved-

That the Punjab Town Improvement (Haryana Amendment and Validation) Bill passed.

Mr. Speaker: Question is-

That Punjab Town Improvement (Haryana Amendment and Validation) Bill be passed.

The motion was carried

THE MOTOR VEHICLES (HARYANA AMENDMENT) BILL, 1970

Irrigation and Power Department (Sh. K.L. Poswal): Sir, I beg to introduce the Motor Vehicles (Haryana Amendment) Bill, 1970

Mr. Speaker: I have received a notice for the disapproval of the Ordinance relating to this Bill. But, since the mover is not present in the House, it is automatically withdrawn.

(Sh. K.L. Poswal): I beg to move-

That the Motor Vehicles (Haryana Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Motion moved-

That the Motor Vehicles (Haryana Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Question is-

That the Motor Vehicles (Haryana Amendment) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now, the House will take up the Bill Clause by Clause.

Sub-Clause (2) of Clause 1

Mr. Speaker: Question is-

That Sub-Clause (2) of Clause 1 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 2

Deputy Speaker: Question is-

That Clause 2 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 3 and 8

Mr. Speaker: Question is-

That Clause 3 and 8 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Sub-Clause (1) of Clause 1

Mr. Speaker: Question is-

That Sub-Clause (1) of Clause 1 stands part of the Bill.

The motion was carried.

TITLE

Mr. Speaker: Question is-

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried

Sh. K.L. Poswal: Sir, I beg to move-

That the Motor Vehicles (Haryana Amendment) Bill be passed.

Mr. Speaker: Motion moved-

That the Motor Vehicles (Haryana Amendment) Bill be passed.

Mr. Speaker: Question is-

That Motor Vehicles (Haryana Amendment) Bill be passed.

The motion was carried.

THE PUNJAB PASSENGERS AND GOODS TAXATION (HARYANA AMENDMENT) BILL, 1970

Finance Minister (Smt. Om Prabha Jain): Sir, I beg to introduce the Punjab Passengers and Goods Taxation (Haryana Amendment) Bill, 1970

Mr. Speaker: I have received a notice for the disapproval of the Ordinance relating to this Bill. But, since the mover is not present in the House, it is automatically withdrawn.

(Smt. Om Prabha Jain): I beg to move-

That the Punjab Passengers and Goods Taxation (Haryana Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Motion moved-

That the Punjab Passengers and Goods Taxation (Haryana Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Question is-

That the Punjab Passengers and Goods Taxation (Haryana Amendment) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now, the House will take up the Bill Clause by Clause.

Clause 2

Mr. Speaker: Question is-

That Clause 2 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 3 and 4

Mr. Speaker: Question is-

That Clause 3 and 4 stands part of the Bill.

The motion was carried

Clause 1

Mr. Speaker: Question is-

That Clause 1 stands part of the Bill.

The motion was carried

TITLE

Mr. Speaker: Question is-

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried

Shrimati Om Prabha Jain: Madam, I beg to move-

That the Punjab Passengers and Goods Taxation (Haryana Amendment) Bill be passed.

Mr. peaker: Motion moved-

That the Punjab Passengers and Goods Taxation (Haryana Amendment) Bill be passed.

Mr. Speaker: Question is-

That the Punjab Passengers and Goods Taxation (Haryana Amendment) Bill be passed.

The motion was carried

THE PUNJAB CO-OPERATIVE SOCIETIES (HARYANA AMENDMENT) BILL, 1970

Health Minister (Ch. Khurshed Ahmed): Sir, I beg to introduce the Punjab Co-operative Societies (Haryana Amendment) Bill, 1970.

Mr. Speaker: I have received a notice for the disapproval of the Ordinance relating to this Bill. But, since the mover is not present in the House, it is automatically withdrawn.

(Ch. Khurshed Ahmed): I beg to move-

That the Punjab Co-operative Societies Punjab (Haryana Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Motion moved-

That the Punjab Co-operative Societies (Haryana Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Question is-

That the Punjab Co-operative Societies (Haryana Amendment) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now, the House will take up the Bill Clause by Clause.

Clause 2

Mr. Speaker: Question is-

That Clause 2 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 3

Mr. Speaker: Question is-

That Clause 3 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 1

Mr. Speaker: Question is-

That Clause 1 stands part of the Bill.

The motion was carried.

TITLE

Mr. Speaker: Question is-

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Ch. Khurshed Ahmed: Sir, I beg to move-

That the Punjab Co-operative Societies (Haryana Amendment) Bill be passed.

Mr. Speaker: Motion moved-

That the Punjab Co-operative Societies (Haryana Amendment) Bill be passed.

Mr. Speaker: Question is-

That the Punjab Co-operative Societies (Haryana Amendment) Bill be passed.

The motion was carried.

THE HARYANA BOARD OF SCHOOL EDUCATION AMENDMENT BILL, 1970

Health and Development Minister (Ch. Khurshed Ahmed): Sir, I beg to introduce the Haryana Board of School Education Amendment Bill, 1970.

Mr. Speaker: I have received a notice for the disapproval of the Ordinance relating to this Bill. But, since the mover is not present in the House, it is automatically withdrawn.

(Ch. Khurshed Ahmed): I beg to move-

That the Haryana Board of School Education Amendment Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Motion moved-

That the Haryana Board of School Education Amendment Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Question is-

That the Haryana Board of School Education Amendment Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now, the House will take up the Bill Clause by Clause.

Clause 2

Mr. Speaker: Question is-

That Clause 2 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 3 to 9

Mr. Speaker: Question is-

That Clause 3 to 9 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 1

Mr. Speaker: Question is-

That Clause 1 stands part of the Bill.

The motion was carried.

TITLE

Mr. Speaker: Question is-

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Ch. Khurshed Ahmed: Sir, I beg to move-

That the Haryana Board of School Education Amendment Bill be passed.

Mr. Speaker: Motion moved-

That the Haryana Board of School Education Amendment Bill be passed.

Mr. Speaker: Question is-

That the Haryana Board of School Education Amendment Bill be passed.

The motion was carried.

THE PUNJAB MOTOR VEHICLE TAXATION (HARYANA AMENDMENT) BILL, 1970

Finance Minister (Shrimati Om Prabha Jain): Madam, I beg to introduce the Punjab Motor Vehicle Taxation (Haryana Amendment) Bill, 1970.

(Shrimati Om Prabha Jain): Madam, I beg to move-

That the Punjab Motor Vehicle Taxation Haryana Amendment Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Motion moved-

That the Punjab Motor Vehicle Taxation (Haryana Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Question is-

That the Punjab Motor Vehicle Taxation (Haryana Amendment) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now, the House will take up the Bill Clause by Clause.

Clause 2

Mr. Speaker: Question is-

That Clause 2 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 1

Deputy Speaker: Question is-

That Clause 1 stands part of the Bill.

The motion was carried.

TITLE

Mr. Speaker: Question is-

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried

Shrimati Om Prabha Jain: Madam, I beg to move-

That the Punjab Motor Vehicle Taxation (Haryana Amendment) Bill be passed.

Mr. Speaker: Motion moved-

That the Punjab Motor Vehicle Taxation (Haryana Amendment) Bill be passed.

Mr. Speaker: Question is-

That the Punjab Motor Vehicle Taxation (Haryana Amendment) Bill be passed.

The motion was carried

THE PUNJAB PROFESSIONS, TRADES CALLLINGS AND EMPLOYMENTS TAXATION (HARYANA AMENDMENT) BILL, 1970

Finance Minister (Shrimati Om Prabha Jain): Madam, I beg to introduce the Punjab Professions, trades Callings and Employments Taxation (Haryana Amendment) Bill, 1970

(Shrimati Om Prabha Jain): Madam, I beg to move-

That the Punjab Professions, trades Callings and Employments Taxation (Haryana Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Motion moved-

That the Punjab Professions, trades Callings and Employments Taxation (Haryana Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Question is-

That the Punjab Professions, trades Callings and Employments Taxation (Haryana Amendment) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now, the House will take up the Bill Clause by Clause.

Clause 2

Mr. Speaker: Question is-

That Clause 2 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 1

Deputy Speaker: Question is-

That Clause 1 stands part of the Bill.

The motion was carried.

TITLE

Mr. Speaker: Question is-

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried

Irrigation and Power Minister (Sh. K.L. Poswal): Sir, I beg to move-

That the Punjab Professions, trades Callings and Employments Taxation (Haryana Amendment) Bill be passed.

Mr. Speaker: Motion moved-

That the Punjab Professions, trades Callings and Employments Taxation (Haryana Amendment) Bill be passed.

Mr. Speaker: Question is-

That the Punjab Professions, trades Callings and Employments Taxation (Haryana Amendment) Bill be passed.

The motion was carried

THE PUNJAB INSTRUMENTS (CONTROL OF NOISES) HARYANA AMENDMENT BILL, 1970

Agriculture and Labour Minister (Sh. Ran Singh): Sir, I beg to introduce the Punjab Instruments (Control of Noises) Haryana Amendment Bill, 1970-

I also beg to move-

That the Punjab Instruments (Control of Noises) Haryana Amendment Bill taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Motion moved-

That the Punjab Instruments (Control of Noises) Haryana Amendment Bill taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Question is-

That the Punjab Instruments (Control of Noises) Haryana Amendment Bill taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now, the House will take up the Bill Clause by Clause.

Clause 2

Mr. Speaker: Question is-

That Clause 2 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 1

Deputy Speaker: Question is-

That Clause 1 stands part of the Bill.

The motion was carried.

TITLE

Mr. Speaker: Question is-

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried

(Sh. Ran Singh): Sir, I beg to move-

That the Punjab Instruments (Control of Noises) Haryana Amendment Bill be passed.

Mr. Speaker: Motion moved-

That the Punjab Instruments (Control of Noises) Haryana Amendment Bill be passed.

Mr. Speaker: Question is-

That the Punjab Instruments (Control of Noises) Haryana Amendment Bill be passed.

The motion was carried.

THE PUNJAB GENERAL SALES TAX (HARYANA AMENDMENT) BILL, 1970

Finance Minister (Shrimati Om Prabha Jain): Madam, I beg to introduce the Punjab general Sales Tax (Haryana Amendment) Bill, 1970.

Mr. Speaker: I have received a notice for the disapproval of the Ordinance relating to this Bill. But, since the mover is not present in the House, it is automatically withdrawn.

Shrimati Om Prabha Jain): Madam, I beg to move-

That the Punjab General Sales Tax (Haryana Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Motion moved-

That the Punjab General Sales Tax (Haryana Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Question is-

That the Punjab General Sales Tax (Haryana Amendment) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now, the House will take up the Bill Clause by Clause.

I have received a notice for the disapproval of this Bill. But, since the mover is not here, it is automatically withdrawn.

Sub-Clause (2) of Clause 1

Mr. Speaker: Question is-

That Sub-Clause (2) of Clause 1 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 2

Deputy Speaker: Question is-

That Clause 2 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 3 and 6

Mr. Speaker: Question is-

That Clause 3 and 6 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Sub-Clause (1) of Clause 1

Mr. Speaker: Question is-

That Sub-Clause (1) of Clause 1 stands part of the Bill.

The motion was carried.

TITLE

Mr. Speaker: Question is-

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried

Finance Minister (Smt. Om Parbha Jain): Madam, I beg to move-

That the Punjab General Sales Tax (Haryana Amendment) Bill be passed.

Mr. Speaker: Motion moved-

That the Punjab General Sales Tax (Haryana Amendment) Bill be passed.

Mr. Speaker: Question is-

That the Punjab General Sales Tax (Haryana Amendment) Bill be passed.

The motion was carried.

OFFICIAL RESOLUTION

Minister for Irrigation and Power (Sh. K.L. Poswal):- Sir, I beg to move-

"That this House approves, under sub-section (3) of section 65 of the Electricity (Supply) Act, 1948 (Central Act 54 of 1948), the fixation by the State Government of a higher maximum amount of thirty crore of rupee which the Haryana State Electricity Board may at any time have on loan under sub-section (1) of that section".

Mr. Speaker: Motion moved-

"That this House approves, under sub-section (3) of section 65 of the Electricity (Supply) Act, 1948 (Central Act 54 of 1948), the fixation by the State Government of a higher maximum amount of thirty crore of rupee which the Haryana State Electricity Board may at any time have on loan under sub-section (1) of that section".

Mr. Speaker: Question is-

"That this House approves, under sub-section (3) of section 65 of the Electricity (Supply) Act, 1948 (Central Act 54 of 1948), the fixation by the State Government of a higher maximum amount of thirty crore of rupee which the Haryana State Electricity Board may at any time have on loan under sub-section (1) of that section".

Mr. Speaker: The House stands adjourned sine-die.

6.08 P.M.

(The House then adjourned sine-die)